क्रमांकः 611 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक : 10/02/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की अट्ठारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 15.12.2015 एवं आपात बैठक, दिनांक 08.01.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र.01 से 10 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 15.12.2015 एवं आपात बैठक दिनांक 08.01.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

03. डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक को स्वीकृत धारणाधिकार के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र.11 से -- तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

04. विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र.12 से 14 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

05. NCNR के लिए **Tissue Culture Lab, Green House, Poly House, Agro Shade Net House** निर्माण करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना। (पृ.क्र.15 से .... तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. NCNR के लिए **Compressor unit 215 L/MIN@ 9 Bar-Model SLP-221 EC** क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 16 से .... तक)

07. वार्षिक परीक्षा 2016 के लिए केन्द्रों को अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र.17 से 21 तक)

08. डॉ. व्ही. के. दीक्षित, तकनीकी अधिकारी पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति के पश्चात् एरियर्स की राशि रूपये 9,54,743=00 (नौ लाख चौवन हजार सात सौ तिरालिस रुपये) भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार करना। (पृ.क्र.22 से .... तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

09. **प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा) पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।**

टीप : प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा) पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :–

प्राचार्य :–

1. शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाठा, रायपुर

विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा) :–

2. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, रायपुर

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, पटल पर रखी जाएगी।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **612** /अका./का.प./**2016** रायपुर, दिनांक : **10/02/2016**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 78 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 26/12/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सोलहवीं* बैठक मंगलवार, दिनांक 15.12.2015 को अपराह् 3:00 बजे कुलपति कक्ष में में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. श्री ललित सुरजन – सदस्य
3. प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मारोठिया – सदस्य
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान – सदस्य
5. डॉ. भगवंत सिंह – सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज – सदस्य
7. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद – सदस्य
8. श्री चन्द्रकुमार चन्द्राकर – सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य
11. प्रोफेसर आर.पी. दीक्षित – सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

कार्यपरिषद् की ओर से नवनियुक्त सदस्य डॉ.(श्रीमती) रश्मि मिंज, श्री नरेशचन्द्र गुप्ता, प्रोफेसर आर.पी. दीक्षित एवं डॉ. लक्ष्मीकांत भारती का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 19.10.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

"कर्मचारी संघ के पत्र क्रमांक 562/क.स./2015 दिनांक 20.10.2015 के द्वारा कम्प्युटर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 80 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत किये जाने संबंधी पत्र को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 में पुनः विचारार्थ रखा गया। इस संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व में लिए गए निर्णय यथावत् रखा जाय।"

03. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा अवधि दिनांक 25.10.2015 से 24.04.2016 तक छः माह वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। संबंधित विषय की टीप में त्रुटिवश ड्राफ्टमेन पद के विरूद्ध उल्लेख किया गया है, इसे ट्रेसर पद के विरूद्ध सुधार कर पढ़ा जावे।**

04. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता भुगतान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण।

निर्णय : **विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप दिनांक 01.07.2015 से (माह जुलाई, 2015 का वेतन जो माह अगस्त 2015 में देय है) महंगाई भत्ता 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2015 से 113 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 119 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2015 से 113 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत की दर छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

06. सेमेस्टर परीक्षा 2015–16 के लिये कुल 44 केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 10,35000/– प्रदान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सेमेस्टर परीक्षा 2015–16 के लिये कुल 44 केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 10,35000/– (दस लाख पैंतीस हजार रुपये) प्रदान किए जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

07. पूरक परीक्षा 2015 के लिये 43 परीक्षा केन्द्रो को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 16,70,000/– (सोलह लाख सत्तर हजार रुपये) प्रदान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **पूरक परीक्षा 2015 के लिए 43 परीक्षा केन्द्र को अग्रिम राशि रुपए 16,70,000/– (सोलह लाख सत्तर हजार रुपये) प्रदान किए जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

08. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2016 एवं सेमे. परीक्षा 2015–16 के केन्द्र सूची को अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2016 एवं सेमेस्टर परीक्षा 2015–16 के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की सूची का अनुमोदन किया गया।**

09. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नवनिर्मित सेमिनार हाल का नामकरण, पूर्व ओलंपियन मेजर ध्यानचंद किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नवनिर्मित सेमिनार हॉल का नामकरण, पूर्व ओलंपियन मेजर ध्यानचंद सेमिनार हॉल किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

10. प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : **निम्नलिखित महाविद्यालय में प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :**

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
1	**रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर**	**डॉ. संजीत कुमार साहू**
2	**अभ्युदय कालेज, चंदखुरी, रायपुर**	**डॉ. देवेश शर्मा**
3	**आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद**	**डॉ. (श्रीमती) किरण श्रीवास्तव**

11. शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के स्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **(i) ऐसे शासकीय महाविद्यालय जो स्थायी संबद्धता के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति को छोड़कर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा स्थायी संबद्धता नहीं होने के कारण केन्द्रीय एजेंसियों से अनुदान हेतु पात्रता से वंचित हो रहे हैं, उनकी सूची सहित उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु पत्र प्रेषित किया जावे।**

(ii) स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई के बीसीए, बीएससी, एवं बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया–**

(1) स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के विषय कमांक 3(7) पर निरीक्षण समिति के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर सभी सदस्यों ने प्रशंसा की एवं भविष्य में निरीक्षण के पूर्व समिति के सदस्यों को इसी प्रकार विस्तृत प्रतिवेदन के लिए जानकारी दी जावे।

(2) विषय कमांक 6 के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित शोध केन्द्रों की स्थापना के बाद निरंतरता बनाये रखने हेतु ब्रेन स्टार्मिंग पर कार्यशाला आयोजित किया जाय, जिसमें विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जावे।

02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

03. विश्वविद्यालय के 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 का अनुमोदन किया गया।

04. फर्नीचर सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निविदा में भाग लेने वाले निर्माता कंपनियों से गुणवत्ता के साथ अधिकतम छूट के आधार पर आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर क्रय, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार किया जावे।

05. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध 10 महाविद्यालयों में EDUSAT व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध 10 महाविद्यालयों में EDUSAT व्यवस्था स्थापित करने किए जाने के संबंध में गठित तकनीकी समिति, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार मेसर्स, Hughes Communications India Ltd. Gurgaon, India (HCIL Comtel Limited) के द्वारा प्रस्तुत राशि रुपए 42,30,747/– (रुपए बयालीस लाख तीस हजार सात सौ सैतालीस मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

(ii) इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित कालेजों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर विचार–विमर्श कर ली जावे। आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों की सहमति से महाविद्यालय के द्वारा खर्च करने की स्थिति में अन्य महाविद्यालयों को भी इस कार्य के लिए संलग्न किया जावे।

06. UGC द्वारा अनुमोदित B.Voc. in Renewable Energy Technology & Managment की प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **UGC द्वारा अनुमोदित B.Voc. in Renewable Energy Technology & Managment की प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा पर निम्नानुसार फर्मों मेसर्स, Ecosense Sustainable Solutions Pvt.Ltd. New Delhi** (a) **Wind Energy Training Set up Rs.**5,97,500=00, (b) **Solar Concentrator System Rs** 4,92,500=00 **कुल मूल्य रु.10,90,000/–, M/s, KWatt Solutions SINE IIT BOMBAY Powai, Mumbai** (a) **PV Integration set up Rs.** 2,55,561=00 & (b) **In house Solar Simulator Set up (To measure I-V Characteristics of Solar Modules** Rs.3,16,149=00 **कुल मूल्य रु. 9,44,545/–), एवं मेसर्स, आदर्श इंटरप्राइसेस, जबलपुर** ((a)**Advanced Photovoltaic Set up** Rs. 4,22,625=00 (b)**Advanced Fuel Cell Rs.**42,210=00 (c)**Thermal energy Storage System**Rs. 5,43,375=00 (d)**Setup for DC-DC & DC-AC Converter (To understand the different voltage rating applications)** Rs.1,03,543=00 (e) **Set up for measurement of PV System Lossesto study the various losses at different stages of the PV system** Rs.69,008=00 **कुल मूल्य रु.** 11,80,761=00) **प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु अनुमोदन के साथ भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।**

07. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में Wi-Fi Access Point लगाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न भवनों में 36 Wi-Fi Access Point, 20 L2 Switch with SFP module एवं अन्य आवश्यक सामग्री के लिए तकनीकी समिति, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म मेसर्स, M/s, Benzfab Technologies Pvt.Ltd. Bhubaneswar Odisha के द्वारा प्रस्तुत राशि रुपए 26,22,078.71/– (रुपए छब्बीस लाख बाईस हजार अठहत्तर एवं इकहत्तर पैसे मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।**

08. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में अतिरिक्त I/O Box (Additional LAN) लगाने के संबंध में स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में अतिरिक्त I/O Box (Additional LAN) लगाने के संबंध में तकनीकी समिति, विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुसार M/s, Benzfab Technologies Pvt.Ltd. Bhubaneswar Odisha के द्वारा कुल खर्च राशि रुपए 19,87,064.63/– (रुपए उन्नीस लाख सत्यासी हजार चौसठ एवं तिरासी पैसे मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।**

09. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णय का अनुमोदन किया गया एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपए 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) अग्रिम के रूप में प्रदान किया जावे, जिसका समायोजन दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को स्नातक प्रथमवर्ष के परीक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क से देय निर्धारित राशि से किया जावे।**

10. आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कबीरधाम में प्रवेश संबंधी विसंगतियों के कारण प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला–कबीरधाम में प्रवेश संबंधी विसंगतियों के कारण प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

(i) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग स्थापित हो जाने के पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र के साथ–साथ महाविद्यालयों की संख्या कम होंगे तथा कम होने के साथ–साथ छात्र–छात्राओं की संख्या कम होंगे, जिसके कारण विश्वविद्यालय में राजस्व प्राप्ति में कमी होगी। जिसका समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया है। आगामी वर्ष में राजस्व की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए **Internal Revenue Generation (IRG)** के संबंध में विचार कर उचित सुझाव व अभिमत देने के लिए समिति गठन किया जावे। समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जावे।

(ii) कुलपति जी ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को तीसरा नैक (NAAC) रिएक्रेडिटेशन जनवरी/फरवरी में प्रस्तावित है। जिसका **LOI** निर्धारित तिथि में प्रस्तुत करने के उपरांत स्वीकार किया जा चुका है तथा इसकी दूसरी कड़ी के रूप में **SSR** भी दिनांक 09.12.2015 को ऑनलाइन संबंधित संस्था को भेजी जा चुकी है तथा हार्डकापी भेजने की तैयारी भी चल रही है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में नैक द्वारा दिए गए सुझाव एवं कमियों को ध्यान रखते हुए समस्त तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है।

डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय खान एवं डॉ. भगवंत सिंह का कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, अतः कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 79 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 26/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

*****

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 381 /अका./2016 रायपुर, दिनांक 20/01/2016

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 के कार्यवृत्त में निम्नानुसार निर्णय शामिल किया जाता है :–

विषय क्रमांक 1 :– कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त के पूरक सूची विषय क्र. 2 – छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4–2/2005–16/उ.शि./38–1 दिनांक 14.07.2015 में संलग्न संचालनालय के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014 दिनांक 18.07.2014 की कंडिका 10 में अंशकालीन शिक्षकों को – अध्यापन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह 20800/– मानदेय प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से लिये गए अन्य निर्णय में –

(iii) विजन कमेटी की बैठक आयोजित की जाए।

(iv) भविष्य में नियमित नये सेमिनार हॉल या अन्य भवनों के नामकरण के संबंध में यदि विचार होता है तो छ.ग. एवं भारत का हॉकी क्षेत्र में ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले **श्री एरमन आर. बेस्टीयन (Erman R. Bastian)** के नाम पर भी विचार किया जाए।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 382 /अका./2016 रायपुर, दिनांक 20/01/2016

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 338 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनाँक : 15/01/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की सत्रहवीं* बैठक (आपात) शुक्रवार, दिनांक 08 जनवरी, 2016 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. एस.सी. नैथानी – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय – सदस्य
5. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद – सदस्य
6. श्री चन्द्रकुमार चन्द्राकर – सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
8. प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मारोठिया – सदस्य
9. श्री ललित सुरजन – सदस्य
10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य
11. प्रो. आर.पी. दीक्षित – सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
13. श्री श्रीचंद सुंदरानी – सदस्य
14. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

–: कार्यवृत्त :–

विषय कमांक–1 22वाँ दीक्षात समारोह 19 जनवरी 2016 के लिए मुख्य अतिथि के संबंध में अतिरिक्त निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 29.12.2015 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **माननीया श्रीमती स्मृति ईरानी, मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली ने 22वाँ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सहमति व्यक्त की है, सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–2 दिनांक 19 जनवरी 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के 22वाँ दीक्षात समारोह के लिए अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

प्रस्ताव : विश्वविद्यालय का 22वाँ दीक्षांत–समारोह मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी 2016 को विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। माननीया श्रीमती स्मृति ईरानी, मंत्री, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली इस दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बलरामजी दास टंडन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे एवं अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे।

विश्वविद्यालय दीक्षांत–समारोह के लिए अतिरिक्त परिनियम–1 में उल्लेखित अतिथियों के अलावा मंच पर आसीन होने के लिए सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व केंन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर, श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश मूणत, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री प्रमोद दुबे, महापौर रायपुर को विशिष्ट अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाना है।

निर्णय : **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में यदि कोई अतिथि को मंच पर बैठने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए तो दीक्षांत समारोह की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अतिथि को मंच में बैठने की अनुमति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 339 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु

विषय : डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक को स्वीकृत धारणाधिकार के अनुमोदन बाबत्।

डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2015 के अनुसार लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पुनर्नियुक्ति होने का उल्लेख कर, दिनांक 19.01.2016 के पूर्व कार्यमुक्त करने एवं धारणाधिकार स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2015 के अनुसार निर्णय दिनांक से 02 माह के अन्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करना था तथा 02 माह की अवधि 18.01.2016 को पूर्ण हो रही थी।

डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक के आवेदन पर इन्हें दिनांक 15.01.2016 से कार्यमुक्त करते हुए 15.01.2016 से 02 वर्ष का धारणाधिकार, छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत् कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया गया हैं।

कुलपति जी द्वारा उपरोक्त अनुसार स्वीकृत धारणाधिकार कार्यपरिषद् के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु

विषय : विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के संबंध में।

छ.ग. शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2005-2006 में नवीन सेटअप स्वीकृत किया गया है, जिसमें जन सम्पर्क अधिकारी, ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी एवं सहायक यंत्री का पद भी स्वीकृत है।

छ.ग. शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के पश्चात् समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.04.2008 में परिनियम 31 के परिशिष्ट में उल्लेखित पदों के स्थान पर शासन द्वारा स्वीकृत पदों को समावेशन किये जाने के कारण सेटअप में स्वीकृत पदों को परिनियम 20 में जोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई है।

अधिष्ठता छात्र कल्याण पद की सेवा शर्ते एवं अर्हता परिनियम 04 में निहित है परन्तु नियमित नियुक्ति किये जाने पर चयन समिति का प्रावधान नहीं है। अतः अधिष्ठता छात्र कल्याण एवं स्वीकृत नवीन सेटअप के पदों यथा- जन सम्पर्क अधिकारी, ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी एवं सहायक यंत्री के पदों को परिनियम 20 की कंडिका 01 में जोड़े जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

STATUTE No. 20

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY-CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES

[Refer Section 18]

1. In addition to the Officers mentioned in clauses (i) to (v) of Section 11 of the Adhiniyam, the following shall be the Officers of the University :

   *(i) Director, College Development Council.

   (ii) Deputy Registrar.

   (iii) Finance Officer.

   (iv) University Librarian.

   (v) Director of Physical Education.

   (vi) University Engineer.

   (vii) Controller, University Press.

   (viii) Deputy Controller, University Press.

   (ix) Assistant Registrar.

   (x) Assistant Director, Physical Education

Provided that if a Joint Registrar has been appointed in the University prior to the date on which the Adhiniyam came into force, he shall continue as an Officer of the University subject to the terms and conditions of his appointment as Joint Registrar.

2. The University may have one or more posts of Deputy Registrar as the need be. The Controller of Examinations and Development Officer, if appointed prior to the coming into force of this Statute, shall continue to hold office subject to the terms and conditions of their appointment and be redesignated as Deputy Registrar.

3. The scales of pay for the posts mentioned in paragraph (1) above shall be as prescribed by the State Govt. from time to time :

Provided that where an Officer serving under the Central Government or a State Government is on deputation to the University and is appointed as Finance Officer or University Engineer, his emoluments and terms and conditions of service shall be as laid down by the Government concerned while placing the service of the officer at the disposal of the University.

Provided further that where a retired Government Servant is appointed to any of the posts mentioned above he shall draw salary equal to the last pay drawn in government service minus the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him and where this amount is less than the minimum of the scale pay of the post he shall draw as his salary the minimum of pay of the post concerned irrespective of the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him.

4. The Executive Council shall prescribe the qualifications which a candidate should possess for being eligible to hold any of offices mentioned in paragraph (1) of this Statute. The prescribed qualifications shall be given due publicity and the Selection Committee shall select the candidates for such offices with due regard to the qualifications prescribed.

5. The Executive Council shall appoint a Selection Committee consisting of the Kulapati who shall be the Chairman of the Selection Committee, one nominee of the Executive Council from amongst its members and one nominee of the Kuladhipati not connected with the University to recommend the names of candidates for appointment to the offices mentioned in paragraph (1). The Registrar shall be the Secretary of the Selection Committee. The Committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the Executive Council shall make appointment from the panel.

*Provided that in case of appointment to the post following posts, the Selection Committee shall be constituted in accordance with the provision contained under Section 49(2) of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973.

Library

1. Librarian
2. Deputy Librarian
3. Assistant Librarian/Senior Technical Assistant

Physical Education

1. Director
2. Deputy Director
3. Assistant Director/Sports Officer.

6. The Officers mentioned in this Statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances medical benefit, provident fund and other benefits and their other terms and conditions of service including the age of retirement shall be such as may be prescribed by the University for the employee of the University:

Provided that where an officer is a serving or retired employee of the Central Government or any State Government, he shall not be entitled to the benefit of contributory provident fund.

7. The powers and duties of each Officer except the Finance Officer mentioned in this Statute shall be such as the Executive Council may determine.

Note : The provisions of this statutes are subject to the overriding provisions of section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 and M.P. State University Service rules, 1982.

---

* Inserted by amendment approved by the Coordination Committee on 12.12.1999.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय: **NCNR, PRSU के लिए Tissue Culture Lab, Green House, Poly House, Agro Shade Net House निर्माण करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।**

***

टीप: NCNR, PRSU के लिए Tissue Culture Lab, Green House, Poly House, Agro Shade Net House निर्माण करने के लिए National (Indian Express, New Delhi) /Local News Paper (Dainik Bhaskar, Raipur) में Tender जारी किया गया था। Tender के अनुसार तीन फर्मो ने अपना Tender भरा (i) M/s Saveer Biotech, New Delhi (ii) M/s A.K. Gupta and Company, Delhi (iii) M/s Anil Kumar Goel, Hapur, U.P.। उपरोक्त सील बंद लिफाफा को निविदा समिति के समक्ष खोला गया जिसमे (i) M/s A.K. Gupta and Company, Delhi (ii) M/s Anil Kumar Goel, Hapur, U.P द्वारा सिर्फ आवेदन पत्र का मूल्य Rs. 2500=00 का D.D. संलग्न किया गया था। 3% अमानत राशि का दर संलग्न नही होने के कारण उनका Tender निरस्त किया गया एवं तीसरा फर्म M/s Saveer Biotech, Delhi का Tender को नहीं खोला गया। निविदा समिति ने पुनः निविदा मंगाने के लिए National News Paper M/s Indian Express, New Delhi एवं स्थानीय समाचार पत्र Dainik Bhaskar, Raipur में पुनः निविदा मंगाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में केवल M/s Saveer Biotech, Delhi का निविदा ही प्राप्त हुआ। M/s Saveer Biotech, Delhi को निम्न दर पर कार्य के लिए Tender के आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार मूल्य Rs. 5008185=00 (Rupees Fifty Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Five Only) की अनुशंसा की गई। अतः निर्माण स्वीकृति पश्चात् भुगतान के लिए कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। विवरण निम्न है:

Item No. 1	Hi-Tech Climate Controlled Tissue Culture Lab	3590450.00
Item No. 2	Hi- Tech Green House	692860.00
Item No. 1	Hi-Tech Controlled Poly House	584500.00
Item No. 1	Agro Shade Net House	140375.00
Grand Total (Fifty Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Five Only)		**5008185.00**

कार्यालयीन टीप

विषय: NCNR, PRSU के लिए Compressor Unit 215 L/MIN @ 9 Bar-Model – SLP-221 E C क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

***

टीप: NCNR, PRSU में क्रय किए गए **NMR Equipment** के **Installation** के लिए **Air Compressor Unit 215 L/MIN @ 9 Bar-Model – SLP-221 E C** की आवश्यकता थी। अतः उक्त मशीन क्रय के लिए Company M/s Anesta Iwata Motherson Ltd., U.P. India से भाव पत्र मंगाया गया। कंपनी ने सामग्री Supply एवं Billing के लिए रायपुर स्थित अपना Authorized Dealer M/s. Himanshu Corporation, Raipur को अधिकृत किया। अतः भाव पत्र के आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार क्रय पत्र M/s. Himanshu Corporation, Raipur एवं प्रतिलिपि M/s Anesta Iwata Motherson Ltd., U.P. India को भेजा गया। अतः Rs. 690725=00 (Rupees Six Lakh Ninety Thousand Seven Hundred Twenty Five only) की अनुशंसा की गई। चूंकि सामग्री **NMR Equipment** के **Installation** के लिए अति आवश्यक थी। अतः सक्षम स्वीकृति पश्चात् मशीन क्रय किया गया। अतः Rs. 690725=00 (Rupees Six Lakh Ninety Thousand Seven Hundred Twenty Five only) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु नस्ती कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यालयीन टीप

17

मुख्य परीक्षा 2016 हेतु केन्द्र अग्रिम के संबंध में।

मुख्य परीक्षा 2016 के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए 126 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम प्रदाय किया जाना है।

कुल 126 परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न है – जिनमें परीक्षा केन्द्रों के नाम के सम्मुख प्रदाय की जाने वाली राशि का उल्लेख है।

अतः संलग्न सूची अनुसार कुल अग्रिम रू. 1,86,65,000.00 (एक करोड़ छियासी लाख पैसठ हजार रू. मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

Yr. 2015 - 2016 केन्द्र अग्रिम प्रथम किस्त

17

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

// मुख्य परीक्षा 2016 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची //

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम (126)	केन्द्र को प्रस्तावित अग्रिम Page No.	Cheque No.	Rs.	Ps.
जिला – रायपुर					
101 (1)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर				
103 (2)	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर			100	000
104 (3)	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर			100	000
105 (4)	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर			100	000
106 (5)	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर			100	000
107 (6)	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर			150	000
112 (7)	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर			350	000
113 (8)	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर			150	000
115 (9)	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर			200	000
116 (10)	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर.			200	000
117 (11)	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर			150	000
118 (12)	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर			150	000
119 (13)	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर			200	000
120 (14)	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर			80	000
121 (15)	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर			200	000
122 (16)	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर			150	000
124 (17)	दिशा महाविद्यालय, रामनगर, रायपुर			120	000
127 (18)	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर			80	000
128 (19)	कला–वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर			200	000
129 (20)	आदर्श कला–वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर			200	000
130 (21)	केन्द्रीय–जेल, रायपुर (उप केन्द्र)			30	000
131 (22)	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर			120	000
156 (23)	के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर			30	000
				3160	000

3060000

18

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	पत्र क्रमांक	चेक क्रमांक	राशि
158 24	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, रायपुर			100,000
160 25	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा., खरोरा			100,000
163 26	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मॉढ़र			80,000
164 27	सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा–नेवरा)			200,000
166 28	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ (तिल्दा)			60,000
167 29	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज			80,000
168 30	शास. बद्रीप्रसाद कला–वाणिज्य महा., आरंग			260,000
169 31	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर			200,000
170 32	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर			110,000
174 33	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा			100,000
175 34	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)			320,000
जिला– बलौदाबाजार –भाटापारा				
201 35	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार			300,000
202 36	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार			80,000
203 37	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा			200,000
205 38	शासकीय राजीव गॉधी महाविद्यालय, सिमगा			80 000
206 39	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी			60 000
207 40	शासकीय महाविद्यालय, लवन			50 000
208 41	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगॉव			60 000
209 42	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़			80 000
210 43	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल			200 000
जिला– गरियाबंद				
251 44	शासकीय आर. एल. महाविद्यालय, राजिम			180,000
252 45	आर्यभट्ट कला–विज्ञान महा., कोपरा			25000
253 46	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)			100 000
255 47	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद			150 000
259 48	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग			150 000
262 49	शासकीय महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद			50,000
263 50	नवीन शास. महा. मैनपुर, गरियाबंद			50 000
जिला– महासमुंद				
301 51	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द			380 000
302 52	शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द			80 000
303 53	शांत्रीबाई कला–वाणिज्य महा., महासमुन्द			80,000
306 54	शासकीय खे.ल. कला / वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा			150,000

4115000=00

19

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	पेज	चेक क्र.	राशि
307 55	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा			120,000
308 56	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना			150,000
309 57	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली			400,000
310 58	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली			30,000
जिला – धमतरी				
351 59	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी			500,000
352 60	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी			80,000
361 61	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)			200,000
362 62	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी			150,000
364 63	कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)			80,000
365 64	शासकीय महाविद्यालय, कुरूद			350,000
368 65	शास. महाविद्यालय, मंगरलोड जिला धमतरी			100,000
जिला – दुर्ग				
401 66	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जी.ई. रोड, दुर्ग			450,000
402 67	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग			300,000
403 68	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग			80,000
404 69	सेठ आर.सी.एस. कला–वाणिज्य महा., दुर्ग			160,000
406 70	रूँगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग			150,000
423 71	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर			500,000
426 72	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर–8, भिलाई			60,000
428 73	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाईनगर			250,000

4110 000=

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	पत्र न.	चेक क्रमांक	राशि
430 74	साँई महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई			150,000
434 75	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर–9, भिलाईनगर			100,000
435 76	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई			150,000
441 77	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर			200,000
448 78	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका–जुनवानी रोड, भिलाई			80,000
450 59	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई			100,000
457 80	इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर			200,000
458 81	नागरिक कल्याण महा., नंदिनीनगर			180,000
461 82	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई–3			200,000
463 83	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई			180,000
464 84	शासकीय महाविद्यालय, पाटन			140,000
465 85	शासकीय महाविद्यालय, जामगाँव (आर.)			80,000
476 86	शास. नवीन महा. खुर्सीपार भिलाई,जि.दुर्ग			50,000
468 87	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा			150,000
जिला– बेमेतरा				
501 88	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा			200,000
502 89	शासकीय पं. देवीप्रसाद चौबे महा., साजा			150,000
503 90	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, दुर्ग			80,000
504 91	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग			60,000
505 92	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़			80,000
जिला–बालोद				
551 93	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद			300,000
552 94	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा			150,000
553 95	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला			100,000
554 96	शासकीय शहीद कौशल यादव महा., गुण्डरदेही			200,000
555 97	माता कर्मा कला–वाणिज्य महा., गुण्डरदेही			35,000
556 98	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डोंडीलोहारा			140,000
558 99	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरूर			200,000
561 100	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी			80,000

3735000

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	प्रेज.न.	चेक न.	राशि
562/101	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा			150,000
564 /102	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा			80,000
565/103	नवीन शास.महा.,मंगचुवा,बालोद			25,000
566/104	नवीन शास. महा., बेलौंदी, जिला बालोद			50,000
जिला – कबीरधाम				
601 105	आचार्य, पंथ श्री गृंथमुनि नाम साहेब शास.महा. कवर्धा			520,000
602/106	शास. राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महा., कवर्धा			80,000
605/107	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई ,जि.-राजनां			150,000
606/108	शास. गजानंन माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा			60,000
607/109	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला			80,000
608 /110	शासकीय नवीन महा., पाण्डातराई			80,000
609 /111	नवीन शास. महा. पिपरिया, कबीरधाम			50,000
611/112	इंदिरा गॉधी शास. महाविद्यालय, पंडरिया,जि0 कबीरधाम			50,000
जिला – राजनांदगाँव				
651 113	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगॉव			520,000
655 114	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगॉव			150,000
657 115	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगॉव			200,000
665/116	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी			200,000
666 117	शासकीय वीरांगना अवंतिबाई महा., छुईखदान			80,000
667 118	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महा., छुरिया			60,000
668 119	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगॉव			180,000
669 120	शासकीय पं.ज.ला.ने. महा., डोंगरगढ़			180,000
670 121	शासकीय महाविद्यालय, घुमका			80,000
671 122	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़			250,000
672 123	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर			60,000
673 124	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर			100,000
674 125	शास. वीरांगना रानी अवंतिबाई कला–वाणि. महा., रामाटोला			30,000
675 126	शासकीय महाविद्यालय, मोहला			80,000

3545000

योग — 18665000=00

(एक करोड़ छियासी लाख पैंसठ हजार मात्र)

//कार्यालयीन टीप //

विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक 2368/सा0प्रशा0/2015 दिनांक 15/07/2015 एवं वेतन निर्धारण आदेश क्रमांक 3195/सा.प्रशा./2015 दिनांक 31/08/2015 के अनुक्रम में डॉ0 व्ही0के0दीक्षित, तकनीकी अधिकारी को वेतनमान 2200–4000/– तथा पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 8000–275–13500 में नियुक्ति दिनांक 02/05/1998 से स्वीकृति के पश्चात् देय एरियर्स की राशि का विवरण इस प्रकार है :–

1. पांचवे वेतनमान में एरियर्स की राशि – रूपये 246051.00
   अवधि : दिनांक 02/05/1998 से 31/12/2005
2. पुनरीक्षित (छठवें) वेतमान में एरियर्स की राशि – रूपये 708692.00
   अवधि : दिनांक 01/01/2006 से 31/08/2015

....

कुल रूपये 9,54,743.00

....

अतः डॉ0 व्ही0के0दीक्षित, तकनीकी अधिकारी को पांचवे एवं छठवें वेतनमान के देय योग्य एरियर्स की सकल राशि रूपये 9,54,743.00 (रूपये नौ लाख चौवन हजार सात सौ तिरालिस मात्र) भुगतान पूर्व माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत् ।

वित्त नियंत्रक

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की अट्ठारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** (पृ. क्र. 01 से 08 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 10.02.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** (पृ. क्र. 09 से 12 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. **विश्वविद्यालय में अधिकारियों के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त अधिकारियों की आगामी सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।** (पृ. क्र. 13)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

04. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 14)

05. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 15)

06. **वर्ष 2015–16 के नामांकन आवेदन फार्म एवं परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन से भराये जाने संबंधी कार्य का देयक राशि रु. 7,75,764.00 के भुगतान के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 16)

07. **विश्वविद्यालय परिसर स्थित युटिलिटि सेंटर में सुपर बाजार स्थापित करने के लिये प्रसारित अभिरूचि की अभिव्यक्ति पर प्राप्त आवेदन के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 17)

08. **वार्षिक परीक्षा 2015, बी.ए. भाग–2, विषय– आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी की लिखित उत्तर–पुस्तिका के परीक्षक डॉ. (श्रीमती) कमर तलत पर परीक्षा समिति की अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 18 से 22 तक)

09. **परीक्षा कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने वाले परीक्षकों के प्रकरणों पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ. क्र. 23 से 25 तक)

10. **वित्तीय सत्र 2009–10 के अंकेक्षण शुल्क रु. 9,77,034.00 (नौ लाख सतहत्तर हजार चौंतीस रुपये मात्र) भुगतान का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।** (पृ. क्र. 26)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व की भाँति अग्रिम प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।** **(पृ. क्र. 27 से 28 तक)**

12. **भिलाई मैत्री कालेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला–दुर्ग में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।**

    टीप : प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा/बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

13. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 666 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: 16/02/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 15.02.2016 अपरान्ह 03.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. एस.सी. नैथानी – सदस्य
3. डॉ. अब्दुल अलीम खान – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज – सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ – सदस्य
6. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव – सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, साल्हेवारा	B.A. III- Hindi, English (FC) Sociology, Economic J, Political Sc.	60	2015–16	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. राजपुत, शास. महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला–बालोद 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं आचार्य, वाणिज्य, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा
		B.Sc III - F.C. Chemistry, Botany Zoology	60		

		B.Com.-III-Compulsory Subject	60		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 12.12.2015

पं. र.वि.वि. के आदेश क्र. 4497/सं./अका./2015 रायपुर दिनांक 20.08.2015 के अनुसार दिनांक 12.12.2015 को निरीक्षण समिति ने नवीन महा. साल्हेवारा में निरीक्षण किया गया जिसमें BA, B.Sc. एवं B.Com.-III प्रत्येक में 60 सीट के लिए सम्बद्धता हेतु विचार किया गया। यह महाविद्यालय वर्तमान में कक्षाएं एवं प्रयोगशाला आदि सभी High School का पुराना भवन में संचालित है। प्राचार्य महोदय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माण प्रगति पर है। महाविद्यालय में स्वीकृत पद 10+1 है। दो पद regular एवं 8 पद अतिथि प्राध्यापक है। प्राचार्य भी प्रभारी B.A.-III (22), B.Sc. (09) एवं B.Com.-III (0) छात्र–छात्राएं हैं। कुल पुस्तकों की महाविद्यालय में प्रयोगशाला एवं उपकरणों की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	संत गुरू घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी	M.C.A. - Prev.	20	2015–16	1. डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला 2. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला
		M.A. Prev. Economics	25	2015–16	1. डॉ. अमरकांत पाण्डेय, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. विनोद कुमार जोशी, शास. राधा बाई नवीन कन्या महावि. रायपुर 3. डॉ. कल्पना पाल, शास. दू.ब. महिला महावि. रायपुर
		M.A. Final English	30		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 17.12.2015

M.C.A. -Prev.

Not ELIGIBLE [Pl. see enclosure]

Principal, Sant Guru Ghasidas Govt. P.G. College, Kurud vide Application form for affiliation clause-2 has submitted that the permission of Deptt. Commissioner of Higher Eduction as well as reguletory body AICTE is attached but on inspecton of college on 17-12-2015, the team found that the college has not even applied for approval of AICTE. As per Approval process Hand book 2015-16 giving to Principal of the College, MCA is a teachnical program and prior approval of AICTE is compulsory and mendetory for conduct administration to thoroughly go through Approval process handbook of AICTE for 2016-17 and after getting approval of AICTE, college will require affiliation by University for conduct of technical programme MCA. It is also important to emphasize that admission procedure for MCA program is conducted by Directorate of Technical Education, Raipur so college should ---------- consent of DTE.

निर्णय : एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की अनुशंसा ए.आई.सी.टी.ई. के नार्म्स के आधार पर तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता दी जाती है। अतः निरीक्षण समिति के अनुशंसा के आधार पर अमान्य किया जाता है।

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 15.01.2016

M.A. Prev. Economics

(शासन का आदेश क्र. एफ 3–35/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 31.08.2015)

पं. र.वि.वि. के आदेश क्र. 121/अका./सम्ब./2015, रायपुर दिनांक 29.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 15.01.2016 के शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद का निरीक्षण (M.A. Prev. Eco. 25 Seats) किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य पाये गये :

1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें पर्याप्त कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध हैं।
2. महाविद्यालय में क्रीड़ाधिकारी एवं ग्रंथपाल तथा 16 नियमित शिक्षक, 09 जनभागीदारी, तथा 15 शिक्षक अतिथि व्याख्याता एवं 01 जनभागीदारी के अंतर्गत् है। गैर शिक्षकीय पद पर 14 कर्मचारी कार्यरत् है।
3. अर्थशास्त्र विषय से संबंधित पुस्तकें ग्रंथागार में उपलब्ध है किंतु इनकी संख्या कम है।
4. अर्थशास्त्र विषय हेतु 01 अतिरिक्त शिक्षक एवं विषय से संबंधित पुस्तकें (25000/–) क्रय करने हेतु महाविद्यालय प्रशासन को कहा गया है।

M.A. Final English

Reference to letter no. 121/अका./2015 dated 29-12-2015 visited Govt. Sant Guru Ghasidas Govt. College, Kurud Dist.-Dhamtari.

1. Infrastructure satisfactory, the college is doing class for M.A. Final English.

For Affiliation -

1. Standard Books on English Literature worth at least one lack is suggested.
2. English Dept. is having only one post, one more Asstt. Professor. to meet the increase of work load is suggested.

The college has got its own building.

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र एवं एम.ए. अंतिम अंग्रेजी की अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्टस् बेरला रोड, गिरहोला, अहिवारा,	**B.Sc. -II -** (F.C., Maths, Physics,Chemistry)	40	2015–16	1. डॉ. के.एस. पटेल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, प्रबंधन संस्थान 3. डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला
		B.Com.-II - (Compulsory subject)	40		
		B.B.A. -II	30		
		B.C.A. -II	30		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 14.01.2016

विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 170/अका./2016 दिनांक 02.01.2016 के संदर्भ में आज दिनांक 14.01.2016 को IBT College of Sc. & Arts अहिवारा, दुर्ग का B.Sc. गणित, B.Com. (C.A.), BBA, BCA Second year Session 2015-16 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया :–

1. उक्त महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. Campus के एक भाग में Polytechnique College का भी संचालन किया जाता है।
3. उक्त पाठ्यक्रम हेतु सीट संख्या के अनुपात में सभी विषयों की पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय के कंप्यूटर कक्ष में लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर है। तथा (03) और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
5. भौतिकी और रसायन प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय करने की आवश्यकता है।
6. प्राचार्य एवं सभी विषयों में परिनियि 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2015–16 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया, जि. –कबीरधाम (छ.ग.)	B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Economics, Political Sc., Sociology	60	2015–16	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शासकीय डी. एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा
		B.Sc. -III - (F.C., Chemistry, Physics, Maths)	60		
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60		

<u>निरीक्षण समिति द्वारा टीप</u> – निरीक्षण तिथि : 22.01.2016
शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया, जिला–कबीरधाम का निरीक्षण किया गया।
शर्तें –

1. रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति।
2. 50 पचास हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने।

की शर्तों की पूर्ति की शर्त पर B.Sc.-III (60 Seats), FC Botany Zoology, Chemistry, B.A. -III 60 Seat- Hindi, English (FC) Economics, Political Sc., Sociology, B.Com.-III 60 Seat सभी अनिवार्य विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता देने हेतु निर्णय लिया जाना उचित होगा।

टीप – बी.एस–सी. भाग–1, बी.ए. भाग–1 एवं भाग–2 में निर्धारित सीट से अधिक छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	शास. स्वामी विवेकानंद महावि. बोड़ला, जि. –कबीरधाम (छ.ग.)	**M.A. -Prev. Sociology**	25	2015–16	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. प्रो. पी.के. शर्मा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 25.01.2016

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3603/अका./2015 रायपुर दिनांक 19.11.2015 के परिपालन में शास. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में सत्र 2015–16 से एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर) 25 सीट के लिए संबद्धता हेतु आज दिनांक 25.01.2016 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. महाविद्यालय का अपना शासकीय भवन है। अधोसंरचना पर्याप्त है।
3. महाविद्यालय मे प्राचार्य एवं शिक्षकों के 13 स्वीकृत पद है जिसमें से 03 नियमित सहायक प्राध्यापक है तथा 07 अतिथि व्याख्याता कार्यरत है।
4. बी.ए. एवं एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए मात्र 01 अतिथि व्याख्याता है। एम.ए. समाजशास्त्र के अध्यापन के लिए 01 सहायक प्राध्यापक की और नियुक्ति की आवश्यकता है।
5. ग्रंथागार में स्नातक स्तर के लिए समाजशास्त्र विषय के 435 पुस्तकें हैं। एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें नहीं है। एम.ए. समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला, जिला–राजनांदगांव	BA III- F.C , Political Sc , Sociology, Geography B.Sc. III- F.C., Botarry, Zoology, Chemistry B.Com.III- All Compulsory Subject		2015–16	1. डॉ. आर.एन. सिंग, प्राचार्य, दिग्विजय कालेज, राजनांदगांव 2. डॉ. सुशील चंद तिवारी, प्राचार्य, शास. व्ही.वाय. टी. पीजी कालेज, दुर्ग 3. डॉ. संतोष कुमार शर्मा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, गुरूर, जिला–बालोद

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 28.01.2016

शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) का दिनांक 28 जनवरी, 2016 को निरीक्षण किया कार्य सम्पन्न किया गया, महाविद्यालय में –

बी.ए.–III– फाउन्डेशन, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य,

बी.एस.सी.–III– फाउन्डेशन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र,

बी.काम–III– सभी अनिवार्य विषय हेतु जॉंच समिति ने प्रतिवेदन भाग ''अ'' के अनुसार समस्त भौतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं पात्रता के अनुसार पायी गयी, महाविद्यालय में बी.ए.–III पूर्व से ही हिन्दी साहत्य की कक्षाएं संचालित है, नियमित प्राध्यापक उपलब्ध है, अतः अध्यापन की पात्रता है।

कमियाँ – (1) मात्र 03 विषयों में नियमित प्राध्यापक हैं, शेष पर अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं।
(2) ग्रन्थालय एवं क्रीडाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।
(3) प्रायोगिक विषयों में प्रयोगशाला परिचारक का पद स्वीकृत नहीं है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07.	शास. नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव	M.Sc. Final Zoology	15	2015–16	1. डॉ. कल्पना पाल, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महावि. रायपुर
		M.A. Final English	30		2. डॉ. आर. महेश्वरी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर

	निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 06.02.2016 **For M.A. Final English :** Book available in the library is adequate for M.A. English. Standard Journal should be subscribed and more reference book should be procured. **For Zoology M.Sc. final** - Suggested to procured adequate reference books, Chemicals and Instruments as per University syllabus. Some standard Journals should be subricribe.
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. बी.एड्. स्पेशल एजुकेशन एम.आर. द्विवर्षीय अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : बी.एड्. स्पेशल एजुकेशन एम.आर. के अध्यादेश एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

05. वाणिज्य स्नातक स्तर पाठ्यक्रम में वर्तमान कम्पनी अधिनियम 2013 को प्रभावी करने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन के पत्र पर विचार करना।

निर्णय : आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय से प्राप्त पत्र क्र. 613/181/291/2015 दिनांक 26.12.2015 की स्वीकृति के अनुसार स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय कम्पनी अधिनियम 1956 के स्थान पर कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्ययन/अध्यापन सत्र 2016–17 से किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में संचालित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले परीक्षार्थी के लिए श्रीमती नंदिनी सिंह द्वारा सहज योग की संस्थापिका, श्री माताजी निर्मला देवी के सम्मान में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में संचालित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले परीक्षार्थी के लिए दानदात्री श्रीमती नंदिनी सिंह द्वारा सहज योग की संस्थापिका, श्री माताजी निर्मला देवी के सम्मान में 'श्री माताजी निर्मला देवी सहज योग स्वर्ण पदक' (SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA GOLD MEDAL) सत्र 2015–16 से विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में एम.पी.एड. (M.P.Ed.) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने संबंधी विनियम क्रमांक 166 की अनुशंसा की गई।

07. स्नातक स्तर पर हिंदी एवं अंगरेजी विषय के अध्ययन/अध्यापन के लिए यू.जी.सी. के पत्र क्र. मि0 सं0 16–1/2008 (राजभाषा) 28 जनवरी, 2016 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्नातक स्तर पर हिंदी एवं अंगरेजी विषय के अध्ययन/अध्यापन के लिए यू.जी.सी. के पत्र क्र. मि0 सं0 16–1/2008 (राजभाषा) 28 जनवरी, 2016 के संदर्भ में

3ख(चार) **विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंगरेजी दोनो मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जायें।**

3ख(छः) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजुदा आदेशों के अनुरूप स्नातक स्तर पर विधि एवं वाणिज्य विषयों में अंगरेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। विषयों के विकल्प इस प्रकार दिए जाते है कि हिंदी व अंगरेजी दोनो का अध्ययन अनुमन्य नहीं है। इन पाठयकमों में हिंदी को भी पढ़ाया जाना चाहिए।**

उपरोक्त 3ख(चार) एवं 3ख(छः) को केन्द्रीय अध्ययन मंडल में विचार करने हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली (BCI) को प्रेषित की जाय।

08. समन्वय समिति में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत अध्यादेश–188 एवं B.Voc Renewable Energy Technology & Management, Draft Regulation, Scheme and Syllabus पर यू.जी.सी. के नवीन दिशा निर्देश के अनुसार संशोधन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : (i) समन्वय समिति में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत B.Voc अध्यादेश–188 पर यू.जी.सी. के नवीन दिशा निर्देश NSQF के अनुसार पूर्व में प्रस्तुत अध्यादेश के स्थान पर पुनरीक्षित अध्यादेश को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

(ii) पूर्व में अनुमोदित B.Voc विनियम क्रमांक –161 को निरस्त करते हुये यू.जी.सी. के नवीन दिशा निर्देश NSQF के अनुसार B.Voc Renewable Energy Technology & Management के लिए संशोधत विनियम क्रमांक –161 का अनुमोदन किया गया।

09. सेंटर फार बेसिक साइंस (Integrated M.Sc.) एवं सेंटर फार बेसिक साइंस के संचालन हेतु आटोनामी से संबंधित रेगुलेशन के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (i) सेंटर फार बेसिक साइंस (Integrated M.Sc.) का रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया।

(ii) सेंटर फार बेसिक साइंस के संचालन हेतु आटोनामी से संबंधित रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया।

10. श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर–नगपुरा, जिला–दुर्ग के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लब्धि सूरी. महाराजा जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना के संबंध में Draft Proposal पर विचार करना।

निर्णय : श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर–नगपुरा, जिला–दुर्ग के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लब्धि सूरी. महाराजा जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना के संबंध में प्राप्त पत्र को स्वीकारते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

11. सत्र 2015–16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

शासकीय महाविद्यालय

1	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (2014–15 एवं 2015–16)
2	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर), जिला–दुर्ग
3	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद
4	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा
5	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया, जिला–कबीरधाम

अशासकीय महाविद्यालय

1 आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, जिला–रायपुर

अशासकीय बी.एड्. महाविद्यालय

1 भिलाई स्कूल ऑफ एजूकेशन एंड रिसर्च, प्लाट नं.–1268 ग्राम–चंद्रखुरी, जिला–दुर्ग

अशासकीय बी.एड्. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

1 अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग

निर्णय : सत्र 2015–16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला–गरियाबंद	M.A. Prev. - English	25	2015–16	1. डॉ. संतोष सिंह, शास. व्ही.वाय.टी. पीजी कालेज, दुर्ग 2. डॉ. अब्दुल अलीम खान, शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई
	निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 13.02.2016 **(शासन का आदेश क्र. एफ 3–35/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015)** महाविद्यालय सितंबर 2005 से स्थापित है यहां कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकाय स्थापित है। अंग्रेजी विषय में एक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक कार्यरत है। महाविद्यालय में पुस्तकालय स्थापित है जिसमें अंग्रेजी विषय की कुल 230 पुस्तकें वर्तमान में है तथा रु. 20,000=00 का नवीन क्रयादेश जारी किया जा चुका है। कक्षा संरचना हेतु 25 विद्यार्थियों के लिए कक्ष उपलब्ध है। उपरोक्त के समर्थन में प्राचार्य का पत्र संलग्न है समिति सर्वसम्मति से संस्था को एम.ए. अंग्रेजी की सम्बद्धता हेतु पात्र मानती है। नोट : ग्रंथालय में एम.ए. अंग्रेजी की आवश्यक पुस्तकों की संख्या कम है अतः आवश्यक पुस्तकें क्रय करने की अनुशंसा की जाती है।				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 667 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: 16/02/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

Center for Basic Sciences

Integrated M. Sc.

Regulation No. ....

1.	Candidates admitted to the program shall pursue the prescribed courses regularly in each of the ten semesters successively. The Master Degree shall be awarded to those candidates who shall obtain at least 50% marks in cumulative aggregate in each of the ten semesters in theory, sessional and practical course separately and minimum of 40% qualifying marks in each theory, practical and sessional paper.	
2.	B.Sc. (Hons) degree shall also be awarded along with the M.Sc. degree. Student shall have the option to quit the program after three years with the B.Sc. (Hons) degree.	
3.	A student failing to appear or securing less than 50% aggregate or obtained less than 40% marks in any of the theory, practical or sessional paper in I to X semester examination shall be allowed to pursue the course for the next following semester. Such students shall be considered FAIL or FAIL in AGGREGATE with ATKT status. Scheme of examination shall be as follow:	
	(i)	Successful candidate shall be declared PASS up to IX semester and with successful completion of the X semester division will be awarded with appropriate provision.
	(ii)	A student failing to qualify the examination of any semester shall be allowed to keep turn (ATKT) along with the successive semester examination in the following semester.
	(iii)	ATKT provision shall be in three papers of one semester with maximum three attempts only (1 main + 2 ATKT).
	(iv)	A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination or debarred to take examination due to short attendance or any other appropriate reason then he/she shall have to appear at that examination in the following semester.
	(v)	Each theory and practical shall have 100 marks out of which 60% will be internal spread over three internal examinations comprising of unit tests, assignments, presentations, quizzes etc.
	(vi)	The provision of revaluation will not be available; however a student may apply for re-totalling.
	(vii)	The examination shall be held in all subjects as approved by the University from time to time.
	(viii)	There shall be no provision for division improvement under Ordinance 184.
	(ix)	The matter not covered in this act/ordinance shall be governed by the ordinance no. 5 and 6 and other provision of the University rules.
	(x)	Marks secured in additional paper will not be added for marking Grade Point Average. However, they shall have to score minimum passing marks.
	(xi)	Student shall be permitted to use simple calculator.

5/2/16   5/2/16   05/2/16   5/2/16

4.	If a student fails to procure a total of 60% marks in a semester, the scholarship shall be discontinued from the next semester and shall be continued only when they again get 60% in a semester. Only ST and SC category students shall get back the scholarship amount as arrears which was not given due to failure of procuring 60% marks.
5.	The weighted total marks secured by the candidate in each course shall be converted into letter grade, respective grade point are given in the following table:

Percentage of Marks	Grade Point	Letter grade	Description
90 and above	10	S	Extraordinary
80-89	9	A	Excellent
70-79	8	B	Very good
60-69	7	C	Good
50-59	6	D	Fair
40-49	5	E	Pass
Below 40	0	F	Fail

5/2/16 05/2/16

5/2/16 5/2/16

Regulation No.......

Autonomy to the Center for Basic Sciences

1. **Preamble:** The Center for Basic Sciences (CBS) will offer five-year integrated PG programs in select areas of basic sciences, notably, Physics, Chemistry, Mathematics, and Biology that will be amenable to 12th graders. The center will also offer Integrated PG-PhD program, Research-based PG and PhD alone programs that will be the ultimate hallmark of the CBS.

2. **Academic Autonomy to the Center for Basic Sciences**

   The academic autonomy shall foster academic excellence in the core branches of basic sciences.

3. **Objectives:** The objective of this regulation is:
   - to give academic autonomy to the Center for Basic Sciences
   - to create a "Corpus fund" for smooth functioning of the Center for Basic Sciences.
   - CBS will have the freedom to:

     (i) Determine and prescribe its own courses of study and syllabi, and restructure and redesign the courses to suit local as well as global needs;

     (ii) Prescribe rules for admission in compliance with the reservation policy of the state government;

     (iii) Evolve methods of assessment of students' performance, the conduct of examinations and notification of results;

     (iv) Use modern tools of educational technology to achieve higher standards and greater creativity; and

     (v) Promote healthy practices, such as community service, extension activities, neighborhood programs, projects for the benefit of the society at large.

4. **Creation of Corpus Fund:**

   (i). At the discretion of the University Executive Council, the Registrar of the University shall create a "Corpus fund" from the amount receiving from any source / all sources and keep it in any one of the nationalized banks.

   (ii). Said fund shall be added with the amount as income from any source and/or the interest earned from the deposits balance in the bank.

5. **Scope of Corpus Fund**

The scope of this regulation shall be limited to income received by the University from all sources. But for all practical purposes corpus fund is a permanently closed fund with no strings or restriction for future application attached.

6. **Operation of Corpus Fund:**

   (i) Normally the amount kept as Corpus Fund shall not be used to meet routine expenditure. However, it be used only if an immediate exigency arises.

   (ii) The Corpus Fund shall be operated with the joint signature of the Finance Controller and the Registrar under the control of the Kulapati.

7. **Relationship with the parent university, the state government and other educational institutions:**

The CBS is free to make use of the expertise of university departments and other institutions to frame their curricula, devise methods of teaching, examination and evaluation. After getting concurrence from the Government of Chhattisgarh the CBS can recruit administrative officer, teachers, non-teaching staff, Lab supporting staff after having concurrence from Government of Chhattisgarh according to the existing procedures (for the university).

The parent university will accept the methodologies of teaching, examination, evaluation and the course curriculum of the CBS. It will also help the CBS to develop its academic programs, improve the faculty and to provide necessary guidance by participating in the deliberations of the different bodies of the university.

(A) The role of the parent university will be: To bring more autonomous institutions under its fold:

(i) To promote academic freedom in the CBS by encouraging introduction of innovative academic programs;

(ii) To facilitate new courses of study, subject to the required minimum number of hours of instruction, content and standards;

(iii) To permit CBS to issue her own provisional, migration and other certificates;

(iv) To do everything possible to foster the spirit of autonomy;

(v) To ensure that degrees issued indicate the name of the CBS;

(vi) To depute various nominees of the university to serve in various committees of the CBS and get the feedback on their functioning; and

(vii) To create separate wings wherever necessary to facilitate the smooth working of the CBS.

(B) The state government will assist the CBS by:

(i) Avoiding, as far as possible, transfer of teachers, especially in parent departments of the university/colleges where academic innovation and reforms are in progress, except for need-based transfers

(ii) Conveying its concurrence for the extension/conferring autonomy of the CBS to the university within the stipulated time of 30 days after receipt of recommendation of the university based on review committee report constituted by the university having two government nominee from the Higher Education Department, Government of Chhattisgarh, failing which it will be construed that the state government has no objection to the CBS continuing to be autonomous

(iii) Deputing nominees on time to the governing council of the CBS and other bodies wherever their nominees are to be included, and

(iv) All three stakeholders, the parent University, the State Government and UGC have to play a very harmonious and proactive role as facilitators in letter and spirits.

(C) Conferring autonomous status:

Autonomy granted to the Center for Basic Sciences is Institutional and covers all the courses at B. Sc. (Hons.), Integrated M.Sc., Research based PG, Dual degree M.Sc.-Ph.D., Ph.D. level, which are being run by the Center at the time of conferment of autonomous status. Also all courses introduced by the Center after the conferment of autonomous status shall automatically come under the purview of autonomy.

Autonomous status covers undergraduate (Honors), postgraduate, Research – based PG, dual degree and Ph.D. programs offered in the CBS. The parent university will confer the status of autonomy upon the CBS with the concurrence of the state government. Once the autonomy is granted, the University shall accept the students of autonomous CBS for award of such degrees as are recommended by the autonomous CBS. The Act and Statutes of the universities ought to be amended to provide for the grant of autonomy to the Center for Basic Sciences. Before granting autonomy, the university will ensure that the management structure of the Center is adequately participatory and provides ample opportunities for academicians to make a creative contribution.

8. **Nature of Assistance:** Pattern of financial assistance and other enabling provisions shall be as follows:

(i) The University will provide assistance under this scheme to the CBS and other autonomous institutions within the campus to meet their additional and special needs.

(ii) Guest/visiting faculty

(iii) Orientation and re-training of teachers.

(iv) Re-designing of courses and development of teaching/learning material

(v) Workshop and seminars
(vi) Examination reforms
(vii) Office equipment, teaching aids and laboratory equipment
(viii) Furniture for office, classrooms, library and laboratories
(ix) Library equipment, books/ journals
(x) Expenditure on meetings of the governing council and committees
(xi) Honorarium to Controller of Examinations (full-time) not exceeding Rs. 10,000.00 p.m.
(xii) Renovation and repairs leading to construction of a new building for the CBS and other autonomous institutions within the campus
(xiii) Extension Activities

9. **Composition of the Statutory Bodies:**

A. Composition of the Governing Council of CBS

The Governing Council shall comprise the following persons:

a. Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, Chairman (ex-officio)
b. Secretary or nominee of Secretary, Higher Education Department, Government of Chhattisgarh (ex-officio)
c. Secretary or nominee of Secretary, DST, Government of India
d. A former VC, member nominated by the Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur
e. A former secretary, DAE; member nominated by Secretary, DAE
f. Director or nominee of the Director, Bhabha Atomic Research Centre, Member (ex-officio)
g. Director or nominee of Director, TIFR, Member (ex-officio)
h. Jt. Secretary (R&D), DAE , Member (ex-officio)
i. Finance Controller, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur
j. Director, CBS, Member (ex-officio)

Registrar, CBS, shall be the non-member Secretary to the Council

B. Composition of the Academic Board:

i. Chairperson of the Academic Board (Board-Chair) shall be an academician of eminence appointed by the Governing Council . Such a person may either be a Regular or an Emeritus Faculty of CBS
ii. Director, CBS, shall be the ex-officio Co-Chairperson of the Board
iii. There shall be a minimum of 5 persons, excluding employees of the Center, nominated by the Governing Council

Such other member or members as may be necessary in the opinion of the Council

The Registrar shall be the non-member Secretary to the Academic Board and shall be the custodian of all documents, admission and academic records of the students of CBS and also of CBS itself.

C. Board of Studies in Core Subjects:

As per the statuary provisions of the university.

D. The Finance Committee:

The Finance Committee of the Center shall consist of the following persons:

i. Director, shall be the ex-officio Chairperson of the Committee
ii. Jt. Secretary (R&D), Department of Atomic Energy
iii. Jt. Secretary (F), Department of Atomic Energy
iv. Finance Controller of Pt. Ravishankar Shukla University Raipur
v. Registrar shall be the Member-Secretary of the Finance Committee.

10. **Meetings of the Statutory Bodies:**

(i) Introduction of a new course should be executed after due preparation and large scale participatory discussions.
(ii) Preparation for a course to be introduced in the next academic session should start in the month of October of the preceding session with meetings of Academic Board.
(iii) Academic Board meeting should be held twice, once in the month of January to discuss proposals for the next academic session and again in the month of August to monitor status of newly introduced courses. Academic Board shall propose ways and means to maintain quality norms.
(iv) Governing Council meetings should follow the meetings of Academic Board. In the month of August the Governing Council should pass the budget of the CBS fund.
(v) Finance committee should meet at least twice in a financial year. The meetings can be organized in the month of April and September of every year. The meeting in the month of April shall be the budget meeting for autonomy grant and in September there will be another budget meeting for autonomous fund created by the university through examination and other relevant fees.

11. **Examination Cell & System**

(i) Autonomous CBS shall have an Examination Cell headed by Controller of Examination who will be a permanent faculty nominated by the university on the basis of potential of the person.
(ii) The Controller of Examination will create his/ her own team with the approval of the Director of the Center. The team shall consist of Deputy Controllers/ Assistant Controllers, the number of persons to be nominated shall depend on the quantum of work in the Examination Cell. Teachers working in the Center shall be nominated in the Examination Cell for tenure of 3 years. They will continue doing their teaching work as scheduled by the CBS.
(iii) There shall be a team of Office Assistants, Computer Programmers, Data Entry Operators and other helpers in the Examination Cell of CBS.
(iv) Examination Cell will have appropriate printing unit also for printing of question papers and other relevant confidential material.
(v) All part-time/full-time functionaries of the Examination Cell shall be paid honorarium for the extra work being done by them apart from their usual work. Such honoraria shall be proposed by the Finance Committee and shall be approved by the Governing Council.

(vi) Governing Council may also approve appointment of full time office staff in the examination cell on contractual basis on the recommendation of Finance Committee. The salary of such staff will also be decided by the same mechanism.

(vii) There shall be continuous, comprehensive evaluation of students through internal and external examination. At least 2 internal examinations per semester and 1 end semester examination should be conducted.

(viii) In order to motivate students to be free of rot learning, various mechanism of internal evaluation should be adopted, such as group discussion, paper reading, home assignments and viva voce.

(ix) Remuneration for examination work should be decided by the finance committee and should be approved by the Governing Council. In no case it should be less than that paid by the parent university.

12. **Award of Degrees: Through Parent University**

- The parent university shall award degrees to the students evaluated and recommended by the CBS.
- The degree certificates will be in a common format devised by the university.
- The name of the CBS will be mentioned in the degree certificate.

13. Remaining matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act / Statute/ Ordinances / regulations.

Corrected
16/2/16

(The revision is consequent upon the NCTE regulations 2014 and the RCI (Rehabilitation Council of India) as a regulatory body for special education as endorsed by NCTE Through an MOU on 8th of April. 2015 and shall be effective from the date of approval by the Co-ordination committee)

Pt. Ravishankar Shukla University,Raipur

New Ordinance – No.

B.Ed., Special Education (MR) In Semester System

(Bachelor of Education)

Approved in the Coordination meeting on................................

1. **Eligibility:**

   1.1. Candidates with at least 50 % marks either in Bachelor's Degree and/ or in the Master's degree in Science/Social Sciences/Humanities, Bachelors in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto are eligible for admission to the program.

   1.2. The reservation and other relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the prevailing rules of the State Government.

2. **Admission procedure:**

   Admissions shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government and the University.

3. **Duration:**

   The B.Ed. program shall be made of duration of two academic years. consisting of four semesters which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the program.

(M. Vani)

4. Attendance:

In the theory and practical papers attendance of student-teachers must be 80% and in internship should be 90%. The relaxation can be availed as specified in the Ordinance 6 of this university.

5. Assessment:

The examination shall consist of two parts, namely

Part-I -----Theory and
Part-II-----Practicum / Internal Assessment in each semester.

The classification and division in theory (Part-I) will be as under:-

1st division	60% and above marks
2nd division	45% and above but less than 60% marks
3rd division	33% and above but less than 45% marks
Fail	Below 33%

In each theory paper the candidate should obtain a minimum of 25% marks.

The classification and division in practical (Part-II) will be as under

1st division	80% and above marks
2nd division	60% and above but less than 80% marks
3rd division	50% and above but less than 60% marks
Fail	below 50%

The Theory papers in each semester should have five categories, such as core contemporary studies, pedagogic, teacher enrichment and Elective as recommended by RCI. In each semester a candidate should obtain 33% marks of aggregate in theory papers and 50% in practical, separately.

If any student fails in theory paper or in practical he/she can continue in the next semester and will be allowed to appear at ATKT to maximum 2 times in two papers. However, one candidate has to clear all back papers in a maximum duration of three years from the date of admission.

(M. Vani)

6. Curriculum program implementation, syllabus, assessment and examination scheme shall be as per the NCTE norms/ RCI recommendations and as approved by the Board of Studies.
   6.1 Internal assessment of each candidate is to be carried out throughout the course of each candidate is to be maintained.
   6.2 School internship will be for a minimum duration of 20 weeks (4 weeks in the first two semester and 16 weeks in the last two semesters. This also includes, besides practice teaching, an initial phase of one week for observing a regular classroom with a regular teacher and would also include peer observations, teacher observations and faculty observations of practice lessons in each semester.
   6.3 Every student has to complete practical work as per syllabus approved by Board of Studies and have to submit a practical copy record. An external examiner will evaluate the student's performance and will also take viva-voce examination.
   6.4 Every student has to select one school subjects of two levels for teaching practice. The details about number of lessons shall be followed as per the provisions given by the BoS.
   6.5 A student shall have to opt for one elective paper out of the elective courses prescribed.

7. **Fees**:

The Institution shall charge fee as prescribed by the affiliating body/ State Government in accordance with the provisions of the NCTE regulation 2002/ prescribed by RCI, as amended from time to time, and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

8. The students of one year B.Ed program will be governed by the old ordinance no.   of this university.

(M. Vani)

SCHEME OF ASSESSMENT
B.Ed., Special Education(MR)
Two year Course, Session 2015-16, 2016 - 17

S. No.	Paper	Credits	Weightage/Marks
Semester I	**Theory**		
A1	Human Growth & development	4	100
A 2	Contemporary India and Education	4	100
B 7	Introduction to Sensory Disabilities (VI, HI, Deaf-Blind)	2	50
B 8	Introduction to Neuro Developmental Disabilities (LD,ID/M.R,ASD)	2	50
B9	Introduction to Locomotor & Multiple Disabilities(deaf-blind,C.P,M.D)	2	50
C12	Assessment and Identification of Needs	4	100
PRACTICUM			
E1	Practical: Cross disability and inclusion	2	50
	TOTAL	**20**	**500**

Semester II	**Theory**		
A3	Learning , Teaching and assessment	2	100
A4	Pedagogy of School Subjects (ANY ONE from part I to part V)	4	100
A5	Pedagogy of School Subjects (ANY ONE from part I to part V)	4	100

(M. Vani)

Semester IV	Theory		
B10	Skill Based optional course (cross disability and inclusion) D. Community based Rehabilitation	2	50
B11	Skill based Optional Course (specialization disability) F. Vocational Rehabilitation and transition to job placement	2	50
Enhancement of Professional Capacities (EPC)			
D19	Basic Research & Basic Statistic (EPC)	2	50
PRACTICUM			
E1	Practical: Cross Disability and Inclusion	4	100
F2	Other disability special school	4	100
F3	Inclusive school	4	100
	TOTAL	**18**	**450**

B6	Inclusive Education	2	50
C13	Curriculum Designing. Adaptation and Evaluation	4	100
	PRACTICUM		
E2	Practical: Disability specialization	2	50
	TOTAL	**20**	**500**
Semester III	**Theory**		
C14	Educational Intervention and Teaching Strategies	4	100
C15	Technology and Disability	4	100
C16	Psycho Social and Family Issues	2	50
Enhancement of Professional Capacities (EPC)			
D17	Reading and Reflecting on Texts (EPC)	2	50
D18	Drama and Art in Education (EPC)	2	50
	PRACTICUM		
E2	Practical: Disability Specialization	4	100
F1	Main disability special school (Related to Area C)	4	100
	TOTAL	**22**	**550**

Minimum of four Weeks Should be allocated for school attachment/Internship and reflected in the time table and should cover Tasks specified under E-2 and F-1 with sufficient time for teacher to acquire pedagogical competence to deal with school subject chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different setting. A suggestive framework is given below :

(M. Vani)

श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ

पारस नगर- नगपुरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

फोन : 0788-2621201, 2621202, 2621210, 3297103, फैक्स : 2621207

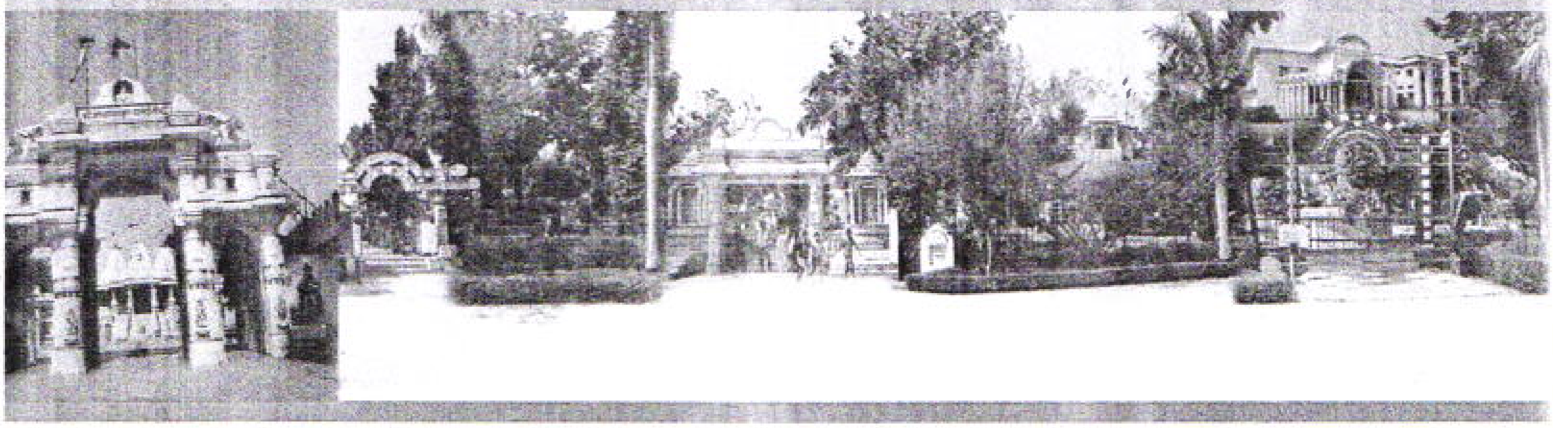

प.क्रं. ल.पी./0101/16

दिनांक 6 फरवरी 2016

आवक क्र. 5645 दि. 15-2-16

प्रेषक
अध्यक्ष,
श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ,
नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रति
कुलपति
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

विषयः- पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लब्धि सूरी.महाराजा जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना।

संदर्भ :- विश्वविद्यालयों में यूजीसी चेयर की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश।

महोदय,

यह विदित ही है कि छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से जैन दर्शन और संस्कृति के प्रसार और अध्ययन, अनुशीलन और चिंतन का केन्द्र रहा है। दुर्ग के निकट नगपुरा में महानतम जैन तीर्थ- श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ स्थित है जो संपूर्ण भारत के जैन धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र है। यहाँ जैन मंदिर परिसर के साथ ही आरोग्यधाम स्थित है। प्रति वर्ष इस तीर्थ में भारत भर से लाखों जैन धर्मावलम्बी यात्रा पर आते हैं और जैन धर्म के महान आचार्य भी इसे अपनी साधना का केन्द्र बनाते हैं। भारत के सभी भागों से अन्य धर्मावलम्बी भी बहुत बड़ी संख्या में नगपुरा की यात्रा पर आते हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि बौद्ध धर्म गुरु आदरणीय दलाई लामाजी की विगत यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन पीठ की स्थापना की घोषणा की थी। हमारे लिए गौरव की बात थी कि उक्त अवसर पर विश्वविद्यालय ने जैन दर्शन अध्ययन पीठ की स्थापना की जाने की भी सूचना दी थी।

उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ ने विगत वर्ष विश्वविद्यालय को एक प्रस्ताव दिया था कि विश्वविद्यालय में जैन दर्शन अध्ययन पीठ स्थापित की जाए और उसके लिए आर्थिक सहयोग का भी वचन दिया था। उक्त प्रस्ताव पर ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी और विश्वविद्यालय में अब तक जैन दर्शन अध्ययन पीठ की स्थापना नहीं हो सकी है।

श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ

पारस नगर- नगपुरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

फोन : 0788-2621201, 2621202, 2621210, 3297103, फैक्स : 2621207

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से हमारा आग्रह है कि वह यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालय में जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लब्धि सूरी महाराज-जैन अध्ययन पीठ (जैन स्टडी चेयर) की स्थापना करें। इस चेयर की स्थापना और कार्य संचालन के लिए उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ द्वारा प्रतिवर्ष यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस जैन स्टडी चेयर की स्थापना के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुरुप एक विस्तृत प्रस्ताव संलग्न हैं ।

आपसे आग्रह है कि इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति देने का कष्ट करें। विश्विद्यालय की ओर से सहमति प्राप्त होने पर उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, नगपुरा और पं.रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय के बीच एक मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जा सकता है। इस चेयर की स्थापना शीघ्र हो अतः कृपया इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय हमें अतिशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें जिससे कि अगली कार्यवाही संपन्न की जा सके।

संलग्न - जैन स्टडी चेयर की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव

भवदीय

अध्यक्ष

श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ

नगपुरा, जिला- दुर्ग

Revised Draft Proposal for establishment of a Chair for research and advancement of knowledge in the field of Jain Philosophy and Culture in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

1. The chair will be designated in the name of illustrious Jain Saint and Philosopher Jain Acharya Shri Labdhisuri Maharaj.

2. The designation of the chair person would be Adhyaksha of Jain Study Chair.

3. Qualification for selection of chair person would be on the basis of outstanding track record in the field of study of Jain philosophy and culture.

4. Age – above 55 years. (The chair being funded by a public trust, the age limit guideline of UGC is not applicable. There is no specific age limit for appointment on the chairs established by State Govt. Refer, Bakhshi Srijan Peeth and even Hindi Granth Academy.)

5. Pay – Consolidated Rs. 100000 per month.

6. Period of appointment – The appointment will be initially for one year which may be extended up to maximum for the period of 5 years.

7. Duration of chair – 5 years and if financial support continues then till the support would be available.

8. Mode of nomination- The appointment will be done on the basis of the recommendation of a 3 member committee. The committee would consist of the Vice-Chancellor of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chairperson of the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura, and an eminent (external) person nominated by the Executive Council of the University.

9. Academic functions of the chair :

(i) To engage in research and, in turn, contribute to the advancement of knowledge in the area of study of Jain philosophy and culture.

(ii) To strengthen the role of university/academics in public policy with regard to promoting unity in the multi religious, multi cultural and diverse way of life in India, particularly Chhattisgarh.

(iii) To provide forum for Research level dialogues, discussion meetings, seminars/summer & winter schools.

(iv) To publish articles/research papers/ reports/ books /monograms.

(v) To participate in teaching and Ph. D. program of the department in which it would be located.

10. Logistics support to the Chairs

The chair be located in one of the departments of the university and the university would provide all the academic, administrative and logistic support extended to other professors of the university.

11. Funding – The fund would be provided by the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura to the university on yearly basis in advance. The fund would be kept in a separate bank account by the university. The account would be operated jointly by the chairperson of the chair and the Registrar of the university. The account would be maintained by the staff of the chair. The account would be audited by a chartered accountant every year and would be submitted to the Tirth and University.

(i) The funding would be 100% for the chair.

(ii) For books & journals Rs. 150000 per year.

(iii) For local and national travels Rs. 100000 per year.

(iv) For secretarial assistance Rs. 150000 per year.

(v) For organization of workshop/conference seminar Rs. 100000 per year.

(vi) For contingency for office expenses, hiring assistance for fieldwork and data collection and analysis Rs. 120000 per years.

12. Pt. Ravishankar Shukla University would evolve a mechanism to review the progress of the chair annually.

13. The university will submit a final report on the activities and the outcome of the chair to the fund provider the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura.

14. The University and the fund provider may undertake the exercise of reviewing the chair for its continuance, at any stage.

15. An Memorandum of understanding will be signed by the Vice Chancellor of Pt. Ravishankar University Raipur and the chair person of Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura, District Durg, for the implementation of the proposal for the establishment of chair.

16. The rules for the functioning of the chair and its activities will be framed by the university in consultation of the Adhyaksha of Jain Study Chair.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
विश्वविद्यालय महिला समिति

लक्ष्य Vision

विश्वविद्यालय परिवार की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं आर्थिक स्वावलंबन का विकास।

पथ Mission

विश्वविद्यालय के बहुविध क्रिया–कलापों में सक्रिय रुचि लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग।

कार्यक्रम Programmes

1. विश्वविद्यालय परिवार विशेषकर महिलाओं एवं बालक–बालिकाओं की सांस्कृतिक अभिरुचि का विकास।
2. उनके लिए हॉबी क्लासेस, हॉबी क्लब आदि का संचालन।
3. महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहन।
4. महिलाओं के स्वतंत्र अर्थोपार्जन के लिये कार्यक्रम।
5. विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता, रख–रखाव पर ध्यान एवं मॉनीटरिंग।
6. सहकारी भंडार की स्थापना एवं संचालन।
7. छात्रावासी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान रख उनके निराकरण में सहयोग।
8. देश–विदेश से आए छात्र–छात्राओं का विशेष ध्यान।
9. छात्रावास में रह रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आत्मीयतापूर्ण वातावरण का सृजन।
10. विभिन्न भवनों में कियोस्क/वैंडिंग मशीनों का संचालन।
11. विश्वविद्यालय की श्रीवृद्धि के लिए अन्यान्य कार्यक्रम।

संरचना Structure

अध्यक्ष	–	कुलपति की पत्नी/महिला कुलपति होने पर विश्वविद्यालय की वरिष्ठतम प्राध्यापिका
उपाध्यक्ष	–	विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापिका
सचिव	–	कुलसचिव की पत्नी/द्वितीय वरिष्ठ प्राध्यापिका/वरिष्ठतम महिला प्रशासनिक अधिकारी
कोषाध्यक्ष	–	वरिष्ठ प्राध्यापिका/महिला प्रशासनिक अधिकारी

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.in

(9)

क्रमांक 594/वि. वि. यंत्री/2016 रायपुर, दिनांक 10/02/2016

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 10.02.2016 को अपरान्ह 04:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो. शिव कुमार पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी० एनआईटी) – सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान, डीन साईंस – सदस्य
4. श्री पवन अग्रवाल (ई० ई० लो०नि०वि०) – विशेष आमंत्रित
5. श्री सुरेश भूपल, कार्यपालन अभियंता (ई० & एम० लो०नि०वि०) – विशेष आमंत्रित
6. श्री के० पी० तिवारी (वि० वि० यंत्री) – सदस्य
7. श्री के. पी. यादव (वित्त नियंत्रक के प्रतिनिधि) – सदस्य
8. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री – प्रभारी यांत्रिकी
9. श्री के० के० चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपअभियंता, श्री अरविंद डे उपअभियंता, श्री विशाल शर्मा, उपअभियंता एवं श्री रामेश्वर देवांगन, उपअभियंता उपस्थित हुए।

विषय क्रमांकः–1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23/11/2015 की कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23/11/2015 की कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–2 दिनांक 23/11/2015 को संपन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :– दिनांक 23/11/2015 को संपन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांकः–3 लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा।

निर्णय :– लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यो के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–4 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/8211/शिल्प रायपुर, दिनांक 21/12/2015 के द्वारा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित युटीलिटी भवन में लिफ्ट लगाने के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विश्वविद्यालय के नवनिर्मित युटीलिटी भवन में लिफ्ट लगाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 10,38,500/– के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

(10)

विषय क्रमांकः–5 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/8211/शिल्प रायपुर, दिनांक 21/12/2015 के द्वारा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सेंट्रल वेल्यूऐशन हॉल में लिफ्ट लगाने के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्यूऐशन हॉल में लिफ्ट लगाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 10,49,782/– के भुगतान किये जाने की की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–6 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/5903/शिल्प/ रायपुर, दिनांक 25/08/2015 के द्वारा विश्वविद्यालय में फार्मेसी भवन के प्रथम तल के फेस–2 में होने वाले विद्युतीकरण कार्य का प्राक्कलन राशि रूपए 31,07,683 प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में फार्मेसी भवन के प्रथम तल के फेस–2 में होने वाले विद्युतीकरण कार्य का प्राक्कलन राशि रूपए 31,07,683 का अनुमोदन किया गया एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–7 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/502/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा सेंटर फॉर बेसिकसाईंस भवन कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– सेंटर फॉर बेसिक साईंस भवन कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 209.67 लाख के विरूद्ध रूपए 183.00 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–8 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/538/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई राशि रूपए 133.15 लाख के विरूद्ध रूपए 100.00 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–9 लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/534/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 17.73 लाख के विरूद्ध रूपए 10.00 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–10लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/520/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा सेन्ट्रल वैल्यूशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– सेन्ट्रल वैल्यूशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 83.42 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–11लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/518/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा प्रेस भवन का विस्तार कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– प्रेस भवन का विस्तार कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 61.83 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—12लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/516/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स भवन का निर्माण कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स भवन का निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 18.90 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—13लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/512/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा विश्वविद्यालय युटिलीटी भवन में काफी हाऊस के लिए परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विश्वविद्यालय युटिलीटी भवन में काफी हाऊस के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 10.51 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—14लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/540/अं के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा प्रबंध संस्थान से लेकर कम्प्यूटर साईंस अध्ययनशाला तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– प्रबंध संस्थान से लेकर कम्प्यूटर साईंस अध्ययनशाला तक बाउण्ड्रीवॉल के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 22.96लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—15लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/506/अं के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा बायोटेक्नालॉजी भवन से लेकर फार्मेसी संस्थान भवन तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– बायोटेक्नालॉजी भवन से लेकर फार्मेसी संस्थान भवन तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण (क्षेत्रीय अध्ययनशाला तक विस्तार के साथ) कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई शेष राशि रूपए 15.72 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—16लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/542/अं के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा कला भवन के रिनोवेशन कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– कला भवन रिनोवेशन कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई राशि में से राशि रूपए 50.00 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—17लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/510/अं. के. रा.–3 रायपुर, दिनांक 30/01/2016 के द्वारा विश्वविद्यालय में बी. एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य के लिये माँग की गई राशि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में बी. एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गई राशि के विरूद्ध राशि रूपए 100.00 लाख के भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—18लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक/704/तक./11–1 रायपुर, दिनांक 09/02/2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग के भूतल में नवीनीकरण कार्य का प्राक्कलन राशि रूपए 24.82 लाख के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :– विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग के भूतल में नवीनीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 24.82 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

12

अध्यक्ष की अनुमति से:–

1. विश्वविद्यालय के जिनेजियम भवन के बैडमिंटन हॉल में एल. इ. डी. लाईट लगाने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 6,81,030/– का अनुमोदन किया गया। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने एवं प्राक्कलन राशि रूपए 6,81,030/– भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. विश्वविद्यालय के लायब्रेरी के लिफ्ट वेल, तैयार करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 6.75 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने एवं प्राक्कलन राशि रूपए 6.75 भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।
3. विश्वविद्यालय के प्रेस भवन एवं सेंटर फॉर बैसिक साईंस भवन के चारों ओर आहता निर्माण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 26.75 लाख का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेस विस्तार निर्माण कार्य की बचत राशि में से किये जाने की अनुशंसा की गई।

कुलपति **कुलसचिव**

पृ. कमांक 595/वि. वि. यंत्री/2016 रायपुर, दिनांक 10/02/2016

प्रतिलिपि:–

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.–3, रायपुर (छ.ग.)

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर मे प्रगतिरत जमा कार्यों में जमा व व्यय की राशि की जानकारी।

(माह 01/2016 की स्थिति मे) बैठक दिनांक 10.02.2016

स.क्र.	कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रशासकीय स्वीकृति	जमा राशि	सिविल कार्य पर व्यय	वि/यॉ कार्य पर व्यय	विविध व्यय	योग	सुपरविजन चार्ज @1%	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अकादमी स्टाफ कालेज भवन के ऊपर प्रथम तल मे गेस्ट हाऊस निर्माण कार्य विद्युतिकरण सहित। (74/डी.एल. 2014–15) (एस.एम.एस.कंस्ट्रक्शन)	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	151.39	60.00	57.36	6.53				
2	न्यू कन्या छात्रावास के प्रथम तल का विस्तार कार्य। (83/डी.एल. 2014–15) एस.एस. कंसट्रक्शन्स	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	62.57	62.57	39.23	2.00				
3	मुद्रणालय भवन का निर्माण कार्य। (76/डी.एल. 2014–15) (श्री रेखचन्द्र अग्रवाल)	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	161.83	100.00	48.33	0.00				
4	पी.जी. गर्ल्स हास्टल (पुराना) का रिनोवेशन कार्य। (57/डी.एल. 2014–15) (श्री रूपेश झा)	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	63.78	46.05	30.07	0.00				
5	प्रवेश द्वार क्र.–2 (स्वर्ण जयंती) निर्माण कार्य। (151/डी.एल. 2013–14) (आशिष श्रीवास्तव)	कार्य पूर्ण	49.12	36.20	39.49	1.40				
6	सेन्टर फार वेसिक साईस भवन का कार्य विद्युतिकरण सहित। (78/डी.एल. 2014–15) (आकार कंस्ट्र)	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	409.67	200.00	182.40	0.00				
7	सेन्ट्रल वेलुवेशन हॉल का निर्माण कार्य। (75/डी.एल. 14–15) (एम.जी.एम. एसो.)	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	199.13	115.71	24.91	0.00				
8	बी.एड. कालेज भवन निर्माण कार्य विद्युतिकरण सहित। (85/डी.एल. 2014–15) (श्री सुरेश अग्रवाल)	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण	544.70	190.00	106.57	0.00				
9	एन.सी.आर. भवन का निर्माण कार्य विद्युतिकरण सहित। (84/डी.एल. 2014–15) (श्री अतुल चौहान)	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	308.73	175.85	116.77	0.00				
10	कला भवन एवं प्रशासकिय भवन के बीच खेल मैदान की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।(68/डी.एल 15–16 वास	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	37.78	12.46	0.00	0.00				

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रशासकीय स्वीकृति	जमा राशि	सिविल कार्य पर व्यय	वि / यॉ कार्य पर व्यय	विविध व्यय	योग	सुपरविजन चार्ज @ 1%	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	बायो टेक्नालॉजी भवन से फार्मेसी संस्थान भवन तक बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।(68 / डी.एल.15-16 वास	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23.46	7.74	0.00	0.00				
12	गेस्ट हाउस भू-तल एवं प्रथम तल के नवीनीकरण कार्य।	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	40.72	13.43	0.00	0.00				
13	विश्वविद्यालय के चारो ओर तीन कि.मी. तक बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य। 108 / डी.एल.13-14 (पद्मावति रिय.)	कार्य पूर्ण	251.69	251.00	236.12	0.00				
14	कला भवन का रेनोवेशन कार्य। (छत एवं टाईल्स कार्य) 46 / डी.एल. 15-16 (माडंन बिल्डर्स)	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	92.71 59.96 152.67	30.60 25.00 55.60	0.00	0.00				
15	इलेक्ट्रोनिक्स एवं फोटोनिक्स भवन का विस्तार कार्य। (81 / डी.एल. 14-15) (साई कृपा निर्माण)	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	102.64	83.74	18.72	3.00				
16	साईंस ब्लाक (रसायन अध्ययन शाला) भवन भू-तल एवं प्रथम तल का विस्तार कार्य। (82 / डी.एल. 14-15)(साई कृपा निर्माण)	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	94.80	31.28	35.26	2.25				
17	युटिलीटी भवन में काफी हाउस के लिए परिवर्धन एवं परिवर्तन	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	15.68	5.17						
18	प्रबंध संस्थान से लेकर कम्प्युटर साईंस अध्ययन शाला होते हुए केन्टीन तक बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	34.27	11.31	0.00	0.00				
19	विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न पहुच मार्गो के डामरीकरण कार्य।	निविदा स्तर पर	109.20							
20	विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न भवनों तक नये पहुच मार्गों का निर्माण, चौडीकरण एवं भवनों में अतिरिक्त प्रवेश द्वार कार्य।	निविदा स्तर पर	189.30	98.05						
21	साईंस ब्लाक के रेनोवेशन कार्य।	निविदा स्तर पर	59.06	19.49						
22	भू गर्भ शास्त्र भवन के रेनोवशन कार्य	निविदा स्तर पर	29.85	9.85						

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रशासकीय स्वीकृति	जमा राशि	सिविल कार्य पर व्यय	वि / यॉ कार्य पर व्यय	विविध व्यय	योग	सुपरविजन चार्ज @ 1%	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	कम्प्युटर साईस भवन के रेनोवेशन कार्य	निविदा स्तर पर	58.27	19.23						
24	फार्मेसी संस्थान भवन के रेनोवेशन कार्य	निविदा स्तर पर	25.36	8.37						
25	विधि विभाग भवन के रेनोवेशन कार्य	निविदा स्तर पर	47.28	15.60						
26	गणित एवं सांख्यिकी अध्ययन शाला के रेनोवेशन कार्य	निविदा स्तर पर	43.66	14.40						
27	फार्मेसी संस्थान भवन के प्रथम तल का विस्तार कार्य	तकनीकी स्वीकती स्तर पर	252.00							

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रमांक--3,
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषयः- विश्वविद्यालय में अधिकारियों के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों के आगामी सेवावृद्धि के संबंध में।

टीपः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पुराना विश्वविद्यालय है, जहां 28 अध्ययनशाला के अंतर्गत एम.ए., एम.एस.-सी., बी.फॉर्मा., एम.फॉर्मा., एम.फिल., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ शोध कार्य संचालित हैं। इस विश्वविद्यालय से 239 महाविद्यालय सम्बद्ध है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दो हजार से अधिक प्रश्न पत्रों में परीक्षाएं वार्षिक प्रणाली (वार्षिक एवं पूरक) एवं सेमेस्टर प्रणाली (दो बार) में आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के माध्यम से परीक्षा परिणाम से लेकर सभी कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अधिकारियों की नितांत आवश्यकता है।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.08.2015 में डॉ. जे.एल. गंगवानी उपकुलसचिव, डॉ. आर.के. अग्रवाल उपकुलसचिव, श्री बी.सी. बिश्वास वित्त नियंत्रक, श्री के.पी. यादव लेखा अधिकारी एवं श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री की 06 माह या छ.ग. शासन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति /प्रतिनियुक्ति किये जाने तक जो भी पहले हो के लिए संविदा सेवा में वृद्धि किया गया हैं, तद्नुसार इन अधिकारियों की 06 माह की संविदा सेवा अवधि दिनांक 16.02.2016 एवं 18.02.2016 को पूर्ण हो रही हैं।

इस विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के 04 पद, सहायक कुलसचिव के 06 पद, वित्त नियंत्रक के 01 पद, विश्वविद्यालय यंत्री के 01 पद एवं लेखा अधिकारी के 01 पद स्वीकृत है।

उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के अनुसार छ.ग. शासन द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं उपकुलसचिव के एक-एक पद पर पदस्थापना की गई है। कार्यरत एक मात्र उपकुलसचिव की शासन द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में स्थानांतरण कर दिया गया है, वर्तमान में कार्यमुक्त नहीं किया गया है तथा उपकुलसचिव के 01 पद पर शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से पदस्थ किया गया है फिर भी उपकुलसचिव के 02 पद रिक्त है। वित्त नियंत्रक एवं विश्वविद्यालय यंत्री का पद प्रतिनियुक्ति से शासन द्वारा भरे जाने वाला पद है।

उपकुलसचिव के 01 पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ किये जाने के अतरिक्त शेष अन्य पद पर छ.ग. शासन द्वारा नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति नही किया गया है, तथा यह पद पद लंबे समय से रिक्त हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उपनियम 7(2) के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए दी जा सकती हैं।

विश्वविद्यालय में नैक (NAAC) की टीम का दौरा माह मार्च-अप्रैल 2016 में प्रस्तावित है तथा विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में असुविधा होगी।

अतः उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों की दिनांक 17.02.2016 एवं 19.02.2016 से संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

F/Sahu/2016/80

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— वि0वि0 परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

वि0वि0 परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र0 1045 दिनॉक 12—5—2015 समाचार पत्रो मे प्रकाशित किया गया था । उक्त निविदा की शर्ते कंडिका—37 मे संस्था/फर्म के पक्ष मे पुलिस मुख्यालय छ0ग0 शासन के अनुज्ञप्ति की जीवित पंजीयन का उल्लेख था।

उक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अनुज्ञप्ति का प्रमाण पत्र मात्र इंडियन सिक्युरिटी फोर्स के—3/264, सुभाष मार्केट, भिलाई, जिला दुर्ग क पास 01 फरवरी 2016 तक का प्रमाण पत्र होने के कारण उक्त फर्म को दिनॉक 01 नवंबर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक 03 माह के लिये कार्य आदेश जारी किया गया था ।

उक्त फर्म को पत्र क्र0 27 दिनॉक 21—1—2016 जारी कर कार्यकाल दिनॉक 31 जनवरी 2016 को समाप्त हो रहा है कि सूचना देते हुए पुलिस मुख्यालय छ0ग0 द्वारा जारी अनुज्ञप्ति निजी सुरक्षा अधिनियम (पसारा) की प्रति दिनॉक 28 जनवरी 2016 तक अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु उक्त फर्म द्वारा पुलिस मुख्यालय छ0ग0 द्वारा जारी अनुज्ञप्ति निजी सुरक्षा अधिनियम(पसारा) की प्रति वि0वि0 मे जमा नही किया गया है ।

संबंधित फर्म का कार्यकाल दिनॉक 31 जनवरी 2016 को पुलिस मुख्यालय छ0ग0 द्वारा जारी अनुज्ञप्ति निजी सुरक्षा अधिनियम (पसारा) के अभाव मे समाप्त होने के कारण वि0वि0 परिसर व भवनों के सुरक्षा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे पत्र क्र0 34 दिनॉक 30—1—16 द्वारा दिनॉक 01 फरवरी 16 से 31 मार्च 16 तक के लिये 02 माह हेतु कार्यकाल मे वृद्वि की गई है ।

उक्त फर्म को कुलअनुशासक के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था । कुलअनुशासक कार्यालय से प्राप्त पत्र कमांक 301/प्राक्टर/16 दि0 15.02.2016 के अनुसार ''निरीक्षण के दौरान कई बार सुरक्षा कर्मी समय के पूर्व चले जाते है एवं देर से उपस्थित होते है एवं रात्रि में निरीक्षण के दौरान सोये हुए भी पाये गये है । विगत माहों में मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं बायोटेक्नॉलाजी विभाग से चोरी की घटनाये भी हुई है।'' पत्र में उल्लेख किया गया है । पत्र की प्रति संलग्न है ।

अतः उपरोक्त फर्म को विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों के दिनॉक 01 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक के लिये 02 माह हेतु कार्यकाल मे वृद्वि की स्वीकृति एवं दिनांक 01 अप्रैल 2016 से विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

16-2-16

My Document/ E.C NETAM/Dev /03

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— वि0वि0 परिसर व भवनों की साफ—सफाई व्यवस्था के संबंध में ।

वि0वि0 परिसर व भवनों के साफ सफाई के साफ सफाई व्यवस्था दिनॉक 1—11—2015 से 31—10—2016 एक वर्ष हेतु मे0 बेस्ट सिक्युरिटी सर्विसेस, रायपुर के साथ दिनॉक 26—10—2015 को अनुबंध किया गया है । उक्त फर्म द्वारा किये जा रहे सफाई व्यवस्था के संबंध मे मौखिक शिकायते निरंतर प्राप्त हो रही थी, प्राप्त शिकायतों के संबंध मे संबंधित ठेकेदार को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि वे सफाई कार्य मे सुधार लावे अन्यथा कि स्थिति मे आगामी माह से कार्य समाप्त किया जा सकेगा सूचित किया गया है ।

संबंधित फर्म द्वारा माह जनवरी 2016 के देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमे यांत्रिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित अ0शा0 एवं छात्रावास का कार्य असंतोषजनक होने का उल्लेख किया है :—

01. आजाद छात्रावास
02. एमबीए
03. दर्शन शास्त्र
04. फार्मेसी संस्थान
05. बायोसाइंस
06. महिला छात्रावास— यांत्रिकी विभाग द्वारा चार स्वीपर मॉगा गया था मात्र दो ही वहॉ है उल्लेख किया गया है ।

विकास विभाग द्वारा पत्र क्र0 49 दिनॉक 10—2—16 जारी कर 13 भवनों के प्रमुखों के पत्र जारी कर जानकारी मॉगा गया था, जिसमे उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित छात्रावास एवं अ0शाला का कार्य असंतोषजनक होने की सूचना प्राप्त हुई है :—

01. प्राचीन भारतीय इतिहास(कला भवन)
02. गॉधी छात्रावास
03. भौतिकी अ0शाला

उपरोक्त अध्ययन शालाओं एवं छात्रावास से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त फर्म का सफाई कार्य असंतोषजन है।

वि0वि0परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था हेतु जारी निविदा सूचना मे द्वितीय न्यूनतम दर न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्वि सर्विसेव, नागपूर द्वारा कुल 30 कर्मचारियों के लिये सफाई सामग्री सहित रू0 2,29,650=60 (दो लाख उन्तीस हजार छैः सौ पचास रू0 साठ पैसा) दर प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान फर्म द्वारा प्रस्तुत दर से रू0 56,040=60 अधिक है । वर्तमान मे कार्यरत फर्म को 1,73,610=00 का भुगतान किया जा रहा है । अतः इस संबंध में निर्णय लिये जाने के लिये कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

16-2-16

My Document/ E.C NETAM/Dev./04

(16)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– वर्ष 2015–16 के नामांकन आवेदन फार्म एवं परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन से भराये जाने संबंधी कार्य का देयक राशि रू0 7,75,764.00 के भुगतान के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत ।

सत्र 2015–16 के नामांकन आवेदन फार्म, वार्षिक/पूरक परीक्षा के परीक्षा आवेदन फार्म एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य मे0 लर्निंग स्पाइरल प्रा.लि. कोलकाता से कराये जाने हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 में पूरक सूची में विषय कमांक 06 में अनुमोदित किया गया है ।

ऑनलाइन नामांकन आवेदन फार्म/परीक्षा आवेदन फार्म भराने संबंधी कार्य निम्नालिखित दरों पर कार्य करने के लिए पत्र दिनांक 1052/विकास/online enroll./15 दिनांक 08.09.15 के द्वारा आदेशित किया गया :—

Particulars	
Online submission of Enlolment Form for Regular student/Exam Form/Supplementary Form/Revaluation Form etc. All payment through online generated Bank Reconciliation, Fee calculation etc. (with photographs.)	**Rs. 02.40 per student**

वर्ष 2015–16 में नामांकन आवेदन फार्म एवं परीक्षा आवेदन फार्म स्वीकृत दर प्रति रू. 02.40 के दर से आवेदन फार्म ऑनलाइन के द्वारा भराये/पूरित कराये जाने के पश्चात् संबंधित फर्म ने देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0	कार्य का विवरण	छात्र संख्या	दर प्र.छात्र	राशि
01.	Online Submission of Enrollment Form	60,437	02.40	1,45,048.80
02.	Online Submission of Exam Form	2,62,798	02.40	6,30,715.20
03.	Total Amount Rs. ---			**7,75,764.00**
04.	Bill No. LS/0114/15-16 Dt. 01.02.16			

फर्म मे0 लर्निंग स्पाइरल प्रा.लि. कोलकाता ने उपर्युक्त विवरण अनुसार अपना कमांक LS/0114/15-16 Dt. 01.02.16 के माध्यम से रू0 7,75,764.00 (अक्षरी रू0 सात लाख पच्हत्तर हजार सात सौ चौंसठ मात्र) भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया है । फर्म ने अपने देयक के साथ विषयवार छात्र संख्या की सूची संलग्न की है । परीक्षा विभाग से छात्र संख्या के सत्यापन पश्चात् फर्म को देयक राशि का भुगतान किया जावेगा ।

अतः संबंधित फर्म को वर्ष 2015–16 के नामांकन एवं परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन द्वारा भराये जाने पर किये गये कार्य की राशि रू0 7,75,764.00 (अक्षरी रू0 सात लाख पच्हत्तर हजार सात सौ चौंसठ मात्र) भुगतान करने के लिए कार्यपरिषद के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

16-2-16

D:/ Doc.file/ E.C/Dev./63

(17)

कार्य परिषद् मे रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषयः—वि0वि0 परिसर स्थित युटिलिटी सेंटर मे सुपर बाजार स्थापित करने के लिये प्रसारित अभिरूचि की अभिव्यक्ति पर प्राप्त आवेदन के संबंध में विचार करना ।

वि0वि0 परिसर में स्थित नवनिर्मित युटिलिटी सेंटर में सुपर बाजार खोलने हेतु सूचना क्र0 29 दिनॉक 28—1—2016 के माध्यम से निविदा सूचना दैनिक भास्कर एवं नवभारत के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित किया गया था । सुपर बाजार खोलने हेतु रूचि रखने वाले निम्नलिखित फर्मो द्वारा निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफा मे प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1/ श्री राजेश पटेल, रसोई स्टोर्स, पीहर मेरिज पैलेस भाटागॉव, रायपुरा, रायपुर ।
2/ एसबी बाजार, एसबी टावर, बी—38, सेक्टर—4, देवेन्द्र नगर, रायपुर ।
3/ श्री धरमपाल छत्रानी, द्वारा— राधास्वामी प्रोविजन स्टोर्स नवजीवन सोसायटी, पचपेडी नाका, रायपुर ।

उपरोक्त फर्मो से प्राप्त सीलबंद लिफाफा विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनॉक 15—2—2016 मे खोला गया है । (संबंधित फर्मो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार :—

1/ श्री राजेश पटेल, रसोई स्टोर्स, पीहर मेरिज पैलेस भाटागॉव, रायपुरा, रायपुर द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति किया जाता है । परिवहन चार्जेस निःशुल्क होता है। रायपुर के अतिरिक्त इनका अन्य शहरों मे शापिंग माल/स्टोर्स नही है ।

2/ एसबी बाजार, एसबी टावर, बी—38, सेक्टर—4, देवेन्द्र नगर, रायपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार नौ स्थानों पर रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बालोद, धमधा, राजनॉदगॉव, जगदलपुर,कवर्धा एवं धमतरी मे स्टोर उपलब्ध है ।

3/ श्री धरमपाल छत्रानी, द्वारा— राधास्वामी प्रोविजन स्टोर्स नवजीवन सोसायटी, पचपेडी नाका, रायपुर द्वारा सुपर बाजार के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है)

चूँकि निविदा सूचना मे वि0वि0 परिसर में स्थित नवनिर्मित युटिलिटी सेंटर में सुपर बाजार खोलने हेतु आवेदन मॉगा गया है । उपरोक्त तीनों फर्मो द्वारा सुपर बाजार खोलने आवेदन प्रस्तुत किया गया है आगे की कार्यवाही के लिये निर्णय लिये जाने हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

16-2-16

SB Bazaar Pvt. Ltd.

D.P. 15-2-16

1.............. 3..............

(DR ADM.) (F.O.) DR/AR Concern

ABOUT SB BAZAAR

We are proud that our root is from **CHHATTISGARH**. We are the only organised retail chain covering more than 9 cities in Chhattisgarh. **SB BAZAAR** was launched on April 26th 2013. We are the fastest growing retail chains with retail space ranging from as small to as big covering from all corner of Chhattisgarh with a vision to open new stores and our target is to touch approx. 1100 stores. We have already opened stores in 9 cities like **RAIPUR, BHILAI, DURG, BALOD, DHAMDA, RAJNANDGAON, JAGDALPUR, KAWARDHA & DHAMTARI.**

SB BAZAAR stores are aimed to provide “A local market place” feel to the shoppers with well trained staff & colourful ambience.

SB BAZAAR is designed with cluster offering wide range of general merchandise including FMCG , Groceries , Personal Care ,Apparels, Kitchen Utensils , Crockery , Home Appliances , Electronics , Luggage , Handbags , Sunglasses , Watches , Footwear ,Games & Toys , Stationery for one-stop shopping destination to take care of your everyday entire family household need.

We provides a one stop solution for our customers with a wide range of products so that they can shop with comfort in a huge , modern & exciting environment under one roof at a convenient location close to their approach.
As a main object to consistently provide quality products at attractive price to our customers we have adopted a competitive pricing policy to ensure propose of best possible value. We retail a wide range of almost all products below MRP for all 365 days discounts for their best saving.

SB BAZAAR

सब कुछ, सही दाम

E-mail: info@sbbazaar.com, Website: www.sbbazaar.com

QUALITY IS OUR MOTTO – Since quality of the products is of prime importance, stringent quality norms have been followed to take care of your everyday household needs.

SB BAZAAR promises a world class shopping experience, with a modern and comfortable air conditioned, easy to shop with friendly staff at hand to provide assistance, electronic billing facilities and a colourful ambience.

SB BAZAAR offers you all branded products sourced from the leading brands from all over India. With a vision to be among the leading retail players in Chhattisgarh our aim is always giving you the best possible value for your money.

Rasoi Stores™

DASTAK GHAR ME

रसोई स्टोर्स व्दारा रायपुर शहर में स्मार्ट शॉपिग का नयी सेवा प्रदान की जा रही है।रसोई स्टोर्स के पास सर्वसुविधा युक्त मार्डन टेक्नोलॉजी से लेस 10000 sq ft का अत्याधुनिक वेयर हाउस है।

आज रसोई स्टोर्स पुरे रायपुर में अपनी लॉजिस्टक टीम व्दारा सामान डिलीवर कर रहें है।आज हम सुन्दर नगर से टाटीबंध ,रायपुरा से शंकर नगर ,मोवा से देवेन्द्र नगर ,न्यु राजेन्द्र नगर से नया रायपुर तक हर जगह सामान डिलीवर कर अपनी **एक विशिष्ट पहचान बना रहें है**।

रविशंकर शुक्ला युनिवार्सीटी के स्टाफ एवं छात्रो के लिएनिम्न लिखित विशेष सुविधाएँ –

1 रसोई स्टोर्स में उपलब्ध सामान की संख्या लगभग 4500 है ,इसका मतलब ज्यादा वैरायटी और बेहरत सामान चुनने की आजादी।

2 रसोई स्टोर्स में 350 से भी ज्यादा ब्रांड उपलब्ध है।

3 रसोई स्टोर्स में छोटे से छाटे सामान एवं बड़े सामान सभी भारी मात्र में उपलब्ध है।

4 आने वाले समय में अपनी सेवाएं बेहतर करने के लिए product category में हम निरंतर नयी सेवायें एड करेंगें जैसे कि गिफट आयटम, पार्टी आयटम,फल एवं सब्जीयॉ एवं दुध इत्यादि।

मुख्य Product Category–

- अनाज जैसे कि दाल चॉवल
- पर्सनल केयर
- स्नैकस
- बच्चों के काम आने वाली वस्तु
- लॉड्री एवं बहुउपयोगी सामान
- कोल्ड्रींक
- पेट केयर

Office Address: Near Peehar Marriage Palace, Raipura-Bhatagaon Road, Bhatagaon, P.O. Sundar Nagar, Raipur - 492 013, Chhattisgarh
Phone: +91 7024 133 336 | **Email:** info@rasoistores.com | **Website:** www.rasoistores.com

नोट–

सभी प्रोडक्ट को आप आनलाइन www.rasoistores.com में भी देख सकतें है।

बिल पेमेंट प्रकिया –

बिल का पेमेंट काउंटर पर नगद या केडिट /डेबिट कार्ड के व्दारा किया जा सकता है।

आनलाइन या फोन पर बुक किया हुआ सामान का पेमेंट नेट बैंकिग ,केडिट या डबिट कार्ड व्दारा या फिर कैश आन डिलिवरी व्दारा भी किया जा सकता है।

प्रमुख सेवाएं जो कि युनिवार्सिटी के स्टोर में उपलब्ध करायी जाएगी –

- फ्री होम डिलीवरी –न्युनतम 500रू. के ऑर्डर पर डिलवरी की जाएगी ।
- प्रोडक्ट रिर्टन पॉलिसी –गुणवकता बनाये रखने के लिए ।
- महीने की विशेष बचत एवं ऑफर –इस दौरान चुनिंदा प्रोडक्ट पर upto 60% आफ होता है।
- हमारे यहॉ सभी प्रोडक्ट पर ग्राहको को डिस्काउंट आफर किया जाता है।

आप से विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे इस आवेदन को स्वीकार करें एवं हमें अपनी सेवाएं प्रदान करने का मौका दें।

निवेदक

राजेश पटेल

Office Address: Near Peehar Marriage Palace, Raipura-Bhatagaon Road, Bhatagaon, P.O. Sundar Nagar, Raipur - 492 013, Chhattisgarh
Phone: +91 7024 133 336 | **Email:** info@rasoistores.com | **Website:** www.rasoistores.com

कार्यपरिषद

विषयः– वार्षिक परीक्षा 2015, बी.ए. भाग – 2, विषय– आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी, की लिखित उत्तर–पुस्तिका के परीक्षक डॉ. (श्रीमती) कमर तलत पर परीक्षा समिति की अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यावाही करने के संबंध में विचार करना।

छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 2402/छ.ग.लो.आ./शिका./138/2015, रायपुर, दिनांक 29.07.15 के तहत आयोग में लंबित जांच प्रकरण 138/2015 के संबंध में **" अंग्रेजी में एक ही कॉलेज के 50 में से 43 छात्र फेल "** (नानकचंद रमेश अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय , खरोरा) पर दिनांक 21.07.15 को पत्रिका समाचार पत्र, रायपुर में प्रकशित समाचार को प्रमुख लोकायुक्त महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान में लेकर प्रकरण दर्ज किया गया।

तत् प्रकरण पर उक्त महाविद्यालय के बी.ए. भाग – 2 के छात्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं के सम्पूर्ण परीक्षण हेतु अंग्रेजी विषय के दो वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक समिति बनायी गयी थी। समिति द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात निम्नानुसार अंक दिये गये हैं , जिनके औसत अंक निम्नानुसार है :–

स. क.	अनुकमांक	मूल प्राप्तांक	प्रथम मूल्यांकन के अंक	द्वितीय मूल्यांकन के अंक	रिमार्क	औसत आधार पर अंको में परिवर्तन	परिणाम
1	107601	16	39	35	अंकों में वृद्धि	37 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
2	107602	12	21	20	अंकों में वृद्धि	21 अंक	यथावत पूरक
3	107603	12	13	10	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
4	107604	13	13	13	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
5	107605	14	21	18	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
6	107606	27	39	37	अंकों में वृद्धि	38 अंक	यथावत उत्तीर्ण
7	107607	14	37	36	अंकों में वृद्धि	37 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
8	107608	28	13	11	अंकों में कमी	12 अंक	यथावत उत्तीर्ण
9	107609	14	18	16	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
10	107610	13	19	22	अंकों में वृद्धि	21 अंक	यथावत पूरक

11	107611	11	13	14	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत अनुत्तीर्ण
12	107612	17	33	35	अंकों में वृद्धि	34 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
13	107613	15	22	19	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत अनुत्तीर्ण
14	107614	18	22	22	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
15	107615	26	20	21	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
16	107616	26	15	16	अंको में कमी	16 अंक	यथावत उत्तीर्ण
17	107617	18	19	22	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
18	107618	27	17	19	अंको में कमी	18 अंक	यथावत उत्तीर्ण
19	107619	13	09	08	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
20	107620	26	23	23	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
21	107621	17	40	42	अंकों में वृद्धि	41 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
22	107622	11	22	22	अंकों में वृद्धि	22 अंक	यथावत पूरक
23	107623	07	22	22	अंकों में वृद्धि	22 अंक	यथावत पूरक
24	107624	26	23	23	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
25	107625	16	37	39	अंकों में वृद्धि	38 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
26	107626	15	12	10	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
27	107627	26	23	22	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
28	107628	13	13	17	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
29	107629	13	13	13	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
30	107630	09	16	15	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक

(20)

31	107631	32	34	38	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
32	107632	26	07	04	अंकों में कमी	06 अंक	यथावत उत्तीर्ण
33	107633	26	15	11	अंकों में कमी	13 अंक	यथावत पूरक
34	107634	26	23	20	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
35	107635	12	26	26	अंकों में वृद्धि	26 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
36	107636	15	23	23	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
37	107637	18	18	16	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
38	107638	13	06	05	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत अनुत्तीर्ण
39	107639	06	03	03	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
40	107640	16	14	12	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत अनुत्तीर्ण
41	107641	26	17	15	अंको में कमी	16 अंक	यथावत उत्तीर्ण
42	107642	26	26	26	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
43	107643	14	14	14	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
44	107644	26	23	23	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
45	107645	13	30	30	अंकों में वृद्धि	30 अंक	पूरक से उत्तीर्ण
46	107646	28	21	15	अंको में कमी	18 अंक	यथावत उत्तीर्ण
47	107647	26	21	20	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
48	107648	28	23	21	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत उत्तीर्ण
49	107649	15	16	14	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक
50	107650	14	13	10	अंकों में कोई परिवर्तन नहीं		यथावत पूरक

..4..

(21)

प्राध्यापकों की समिति ने उपरोक्तानुसार अंक देकर प्रथम मूल्याकनकर्ता पर मूल्यांकन में गंभीर त्रूटि करने का भी जिक्र किया है।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को परीक्षाफल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षाफल समिति ने अनुशंसा किया है कि दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये अंको का औसत निकालकर इसे ही मूल एवं अंतिम मूल्यांकन मानकर परीक्षाफल घोषित किया जाये एवं चूकि प्रथम मूल्यांकन में मूल्यांकर्नता द्वारा लापरवाही की गयी थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जाये। चूकि दोनो विषय विशेषज्ञों ने प्रथम मूल्यांकनकर्ता पर लापरवाही पूर्वक मूल्यांकन करने का जिक्र किया है। जिसे परीक्षाफल समिति ने भी स्वीकार करते हुए उन पर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की है। तदानुसार प्रथमतः प्रथम मूल्यांकनकर्ता (डॉ. (श्रीमती) कमर तलत, प्राध्यापका अंग्रेजी, शास. व्ही.एन.वाय.टी. महा., दुर्ग) को दिनांक 03.10.15 को स्पष्टीकरण मांग कर उनका पक्ष मांगा गया। जिस पर उन्होंने इसे मानवीय त्रूटि मानकर भविष्य में इसे ध्यान में रखने के आशय का पत्रोत्तर दिया है।

तत्संबंध में विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक 05 कंडिका – 11 की उपकंडिका(vii) में निम्नानुसार प्रावधानानुसार है:– " If the results of any examinations disclose understandable divergence in the marks of the candidates in any subject or divergence in the marks in any paper or subject among the conadidates of the college or the university teaching departments, the committee may investigate into the case of such divergence. The committee may itself scrutinise the answerbooks or may order their scrutiny by other person, and may also call an explanation from the examiner concerned for the divergence of marks.

If after the investigation the committee is of the opinion that such divergence may be due to leakage of paper , personal favourism or animosity, it may take such action as it deem fit including a revaluation of the answerbooks.

If leakage is paper of favouritism or antimosity in valuation of answerbooks any examiner is proved, the committee shall report the matter to the Executive course which may take such action against the examiner as it thinks fit and may debar him examinationship permanently or a specific period.

Note:- (1) If any action is to be taken against any examiner / paper – setter / Moderator in case mistakes / omissions / negligence / leakage in paper setting / moderation / evaluation matter shall be reffered to the Executive council with the recommendations of the committee.

--5--

22

(2) If any action is to be taken against centre Superintendent / Assistant Superintendent / invigilators the matter shall be reffered to the Executive council directly by the Kulpati. "

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत।

****

कार्यपरिषद् –

विषय :– परीक्षा कार्यों को गंभीरता से नही लेने वाले परीक्षकों के प्रकरणों पर विचार करना ।

वार्षिक परीक्षा 2015 के घोषित परिणाम पश्चात् प्राप्त पुनर्मूल्यांकन आवेदन के जांच उपरांत स्नातक/स्नात्कोत्तर कक्षाओं के निम्न मूल्यांकनकर्ता द्वारा पर्ण/प्रतिपर्ण/उत्तरपुस्तिका के अंकों में त्रुटि पाया गया है। जिससे छात्रों को अत्यधिक परेशानी के साथ–साथ विश्वविद्यालय की छवि भी खराब हुई है। ऐसे प्राध्यापक जिनके द्वारा मूल्यांकन पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं एवं पर्ण/प्रतिपर्ण में पृथक–पृथक अंक अंकित किये गये है उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्टीकरण दिये गये है परंतु उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही गया है । उनके नाम निम्नानुसार है –

बी.ए.– I :–

केंद्र क्रमांक	रोल नं.	कोड नं.	अंकसूची के अंक	उ.पु. के अंक	अंतर	परीक्षकों के नाम
558	67774	Y-1603	23	28	05	डॉ. राजेश्वरी बिसेन, रायपुर
303	33620	Y-1592	20	28	08	डॉ. सुषमा तिवारी, कन्या महा. देवेंद्रनगर
468	58630	Y-1602	20	26	06	डॉ. मीनाक्षी तिवारी, शास. कन्या महा.कांकेर
430	51428	Y-1603	23	25	02	डॉ. के.डी. भट्ट, रिटा. प्राचार्य बिलासपुर
502	60530	Y-1603	05	25	20	डॉ. एन.के. पटनायक, सांई नाथ महा. परसतराई
476	54587	Y-1605	14	40	26	डॉ. बी.सी. शुक्ला शास.महा. सरगांव
423	49923	Y-1592	24	34	10	डॉ. श्रीमती केशरी पटेल, शास. महा. कोटरी
206	23271	Y-1606	21	31	10	प्रो. लक्ष्मण शुक्ला, नरहरपुर, कांकेर
406	55301	Y-1591	22	32	10	डॉ. पंकज सिन्हा, शास.महा. दुर्गुकोंदल, कांकेर

बी.ए.– II

665	151842	Y-1654	21	31	10	डॉ. अशोक तिवारी, कल्याण महा. भिलाई
351	125466	Y-1664	18	30	12	डॉ. एस.बी. कुमार, शास. महा. महासमुंद
669	153574	Y-1664	12	22	10	डॉ. विनोद शर्मा, शास. महा. गोबरा नवापारा
464	136156	Y-1652	13	30	17	डॉ. नीता शर्मा, शंकराचार्य महा. भिलाई
464	136474	Y-1652	24	34	10	डॉ. नीता शर्मा, शंकराचार्य महा. भिलाई

बी.ए.– III

209	180831	Y-1712	34	54	20	डॉ. भारती मंडावी, शास. महा. कुरूद
423	192072	Y-1722	36	56	20	डॉ. अर्चना सेठी, अर्थ., अ.शा., प.र.शु.वि.वि. रायपुर
306	184519	Y-1713	34	54	20	डॉ. के. तिवारी, डागा कन्या महा. रायपुर
670	206216	Y-1724	05	56	51	डॉ. सत्यभामा सौरज, शास. महा. आरंग

बी.एस.सी. – I

601	251468	Y-2120	00	05	05	डॉ. घनश्याम डडसेना, शास. महा. नंदिनीनगर
303	232810	Y-2115	04	11	07	डॉ. प्रदीप अग्निहोत्री, छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर
552	248153	Y-2116	04	09	05	डॉ. राकेश सोनकर अन्तागढ़
553	248477	Y-2117	13	14	01	डॉ. सिम्पा शर्मा, लोहार चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर
365	238065	Y-2117	08	18	10	नोडल केन्द्र से नाम अप्राप्त है।
434	241337	Y-2120	21	31	10	डॉ. डी. आर. साहू, शास. महा. मस्तुरी
465/466	244825	Y-2126	10	18	08	डॉ. हेमा कुलकर्णी, शास. महा. दल्ली राजहरा

बी.एस.सी. – I, (गृह विज्ञान)

434	470418	Y-1942	17	51	34	कम्प्यूटर त्रुटि

बी.एस–सी. – II

351	274333	Y-2161	36	56	20	डॉ. रेशमा अंसारी, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर
502	280949	Y-2161	30	50	20	डॉ. रेशमा अंसारी, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर
164	267912	Y-2162	22	29	07	डॉ.एच.के.गरचा, के.डी.महिला महावि. राजनांदगॉव
669	286801	Y-2162	24	27	03	डॉ. सुनयना मिश्र, शास.महा. धरसींवा
669	286830	Y-2162	22	32	10	डॉ. सुनयना मिश्र, शास.महा. धरसींवा
362	275524	Y-2166	04	09	05	डॉ. सरोज मिश्र, के.डी.महिला महावि.राजनांदगॉव

बी.कॉम. – I

113	312517	Y-1501	18	38	20	डॉ. ज्योति बर्न, शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
423	333230	Y-1504	12	72	60	डॉ. एस.के.बाजपेयी,शास.बिलासा कन्या महा. बिलासपुर
121	318708	Y-1506	09	19	10	डॉ. डी.आर.भवनानी, सुराना महाविद्यालय दुर्ग
463	340129	Y-1508	10	40	30	डॉ. बी.के.वर्मा, कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा

बी.कॉम. – II

163	383104	Y-1522	19	39	20	डॉ. नीता शर्मा, श्री शंकराचार्य महा. जुनवानी, भिलाई
441	394556	Y-1527	03	63	60	कंप्यूटर आपरेटर
128	381720	Y-1528	22	32	10	डॉ. सुनील कु. श्रीवास्तव, श्रीशंकराचार्य महा. जुनवानी, भिलाई

बी.कॉम. – III

1	425460	Y-1550	10	30	20	डॉ. मंजूलता साव, शासकीय महाविद्यालय, बोरी
2	434412	Y-1550	33	39	06	संजय कुमार जगताप, कॉम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी
3	445760	Y-1541	34	44	10	लवन सिंह कंवर, शासकीय पी.जी.महाविद्यालय, कवर्धा
4	446218	Y-1543	20	40	20	डॉ. डी.पी.देवांगन, शासकीय बिलासा कन्या महा. बिलासपुर

बी.एड. –

1	649132	Y-2342	32	49	17	डॉ. पी.डी. शर्मा, रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रायपुर
2	644018	Y-2342	18	37	19	डॉ. ऋचा साव, दिशा महाविद्यालय कोटा, रायपुर
3	646804	Y-2343	04	64	60	डॉ. रंजना ठाकुर, रूंगटा कॉलेज रायपुर
4	640362	Y-2343	35	55	20	डॉ. संजय कुमार सिंह, सी.आई.टी.महाविद्यालय रायपुर
5	642279	Y-2344	13	41	28	डॉ. रंजना ठाकुर, रूंगटा कॉलेज रायपुर
6	642499	Y-2344	19	50	31	डॉ. रंजना ठाकुर, रूंगटा कॉलेज रायपुर
7	645368	Y-2346	42	52	10	डॉ. किरण बाला पटेल, शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
8	648794	Y-2356	29	33	04	डॉ. लक्ष्मी सोनेकर, विवेकानंद महाविद्यालय, कोटा, रायपुर
9	642610	Y-2356	35	60	25	श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद महाविद्यालय, कोटा, रायपुर
10	636600	Y-2360	27	55	28	डॉ. अर्चना तिवारी

(25)

एम.ए. –

हिन्दी पूर्व	521370	Y-1783	38	68	30	डॉ. सुबोध देवांगन, शासकीय पी.जी.महावि. कुरूद
हिन्दी पूर्व	521230	Y-1786	01	61	60	श्रीमती रोशनी मिश्रा, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर
हिन्दी अंतिम	586286	Y-1787	39	59	20	डॉ. बी.पी.तिवारी, सांई महाविद्यालय, रायपुर
इतिहास पूर्व	547008	Y-1835	05	51	46	डॉ. सत्येन्द्र तिवारी, आई.टी.एस.कॉलेज, गरियाबंद

एम.कॉम. – पूर्व

1	498516	Y-1564	12	72	60	डॉ. राजेश अग्रवाल, दुर्गा कॉलेज रायपुर

उपरोक्त अंकित समस्त प्राध्यापकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये है परंतु उनके जवाब अस्पष्ट है। विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 5 की कंडिका 11 की उपकंडिका (vii) में निम्नांकित प्रावधान है– "If the result of any examinations disclose understandable divergence in the marks of the candidates in any subject or divergence in the marks in any paper or subject among the candidates of the college or university teaching departments, the committee may investigate into the case of such divergence. The committee may itself scrutinise the answer books or may order their scrutiny by other person, and may also call an explanation from the examiner concerned for the divergence of marks.

If after the investigation the committee is of the opinion that such divergence may be due to leakage of paper, personal favourism or animosity, it may take such action as it deem fit including a revaluation of the answer books.

If leakage is paper of favouritism or antimosity in valuation of answer books any examiner is proved, the committee shall report the matter to the Executive course which may take such action against the examiner as it thinks fit and may debar him examination ship permanently or a specific period.

Note :- 1. If any action is to be taken against any examiner/ paper-setter/ Moderator in case mistakes / omissions/negligence/leakage in paper setting / moderation / evaluation matter shall be referred to the Executive council with the recommendations of the committee.

2. If any action is to be taken against centre Superintendent / Assistant Superintendent / invigilators the matter shall be referred to the Executive council directly by the Kulpati."

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु टीप :

वित्तीय सत्र 2009–10 के लेखासंपरीक्षा उपरांत ज्येष्ठ संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के समस्त वास्तविक प्राप्ति पर निम्नानुसार अंकेक्षण शुल्क अधिरोपित किया गया है :–

बजट में दर्शित वास्तविक प्राप्ति	रूपये 28,86,84000/–
सावधि जमा पर ब्याज	रूपये 2,10,72,925/–
विश्वविद्यालय की कुल प्राप्ति	**रू. 309756925/–**

अंकेक्षण शुल्क से छूट योग्य राशियाँ :–

(1)		**निक्षेप/अमानत/सुरक्षा निधि – कंडिका–क(5 और 7)**	
	1	फेलोशिप/शोधछात्रवृत्ति हेतु प्राप्त राशि	रू. 12256000.00
	2	ग्रंथालय सुरक्षा निधि	रू. 127000.00
	3	प्रयोगशाला सुरक्षा निधि	रू. 53000.00
	4	छात्रावास सुरक्षा निधि	रू. 58000.00
(2)		**समायोजन/अग्रिम की वापसी – कंडिका–क(8 और 9)**	
	1	90 प्रतिशत पेंशन वापसी	रू. 1192000.00
		योग	**रू. 1,36,86,000.00**

विश्वविद्यालय की शुद्ध प्राप्ति रू. **309756925–13686000 = 296070925.00**

विश्वविद्यालय की शुद्ध प्राप्ति पर देय अंकेक्षण शुल्क राशि की गणना –

रू. 29,60,70,925.00 x .33 %= 9,77,034.00 (नौ लाख सतहत्तर हजार चौंतीस रू. मात्र)

अतः वित्तीय सत्र 2009–10 के अंकेक्षण शुल्क रू. 9,77,034.00 (नौ लाख सतहत्तर हजार चौतीस रू. मात्र) भुगतान पश्चात् माननीय कार्यपरिषद के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

16/2/16

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय : विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व की भाँति अग्रिम प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

कर्मचारी संघ ने अपने मांग पत्र क्र. 501/क.सं./2015, रायपुर, दिनांक 22.04.2015 के बिंदु क्र. 02 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पूर्व में दिए जाने वाली सुविधा के तहत प्रदाय किए जाने वाले अग्रिमों, यथा– अनाज अग्रिम, व्यक्तिगत ऋण, कंप्यूटर अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि को पुनः प्रारंभ करने की माँग की गई है।

उक्त संबंध में लेख्य है कि पूर्व में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को निम्नानुसार अग्रिमों की सुविधा प्रदान की जा रही थी–

1. अनाज अग्रिम, रु. 5000/– (सवा छह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से दस किश्तों में प्रथम 09 किश्त प्रतिमाह रु. 500/– तथा अंतिम किश्त रु. 670/– की दर से अधिकतम 10 किश्तों में).
2. वाहन अग्रिम, शिक्षकों/अधिकारियों को रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख) कार अग्रिम, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को स्कूटर अग्रिम रु. 25000/– (रु. पच्चीस हजार) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मोपेड अग्रिम रु. 15000/– (रु. पन्द्रह हजार) ग्यारह प्रतिशत निर्धारित ब्याज दर पर अधिकतम 180 किश्तों में.
3. कंप्यूटर अग्रिम– शिक्षकों/अधिकारियों एवं तृतीय वर्ग कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय के लिए निर्धारित/स्वीकृत डी.जी.एस.एंड डी. दर पर पर 14.75 प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम 60 किश्तों में.
4. व्यक्तिगत ऋण : शिक्षकों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को अधिकतम रु. 50,000/– (रु. पचास हजार) 10 प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज दर पर अधिकतम 60 किश्तों में.
5. त्यौहार अग्रिम : तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को रु. 1500/– (रु. एक हजार पाँच सौ) वर्तमान में राज्य शासन के नियमानुसार रु. 8000/– (रु. आठ हजार) वसूली ब्याज रहित दस समान किश्तों में.

6. चिकित्सा अग्रिम : शिक्षकों/अधिकारियों, तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम 1,00,000/– (रु. एक लाख) वसूली ब्याज रहित 25 किश्तों में अथवा ऋण प्राप्तकर्ता की सुविधानुसार।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्र. 331/एफ–1003419/वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 19 अक्टूबर 2012 के परिपालन में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.03.2015 में विषय क्र. 4 पर वर्ष 2015–16 हेतु पारित बजट प्रावधानानुसार उपरोक्त अग्रिमों में क्र. 01 से 04 तक के अग्रिमों को समाप्त करते हुए केवल क्र. 5 त्यौहार अग्रिम एवं क्र. 6 चिकित्सा अग्रिम को ही स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्तारनुसार बिंदु क्र. 01 से 04 तक उल्लेखित अनाज अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम, एवं व्यक्तिगत ऋण को पूर्व की भाँति प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यालयीन टीप

विषयः— पीएच.डी. उपाधि हेतु शोधार्थियों के लिए जारी अधिसूचना का अनुमोदन करना ।

दिनांक 27/02/2015 से 15/02/2016 तक कुल 126 शोधार्थियों की पीएच.डी. के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। संकायवार जानकारी निम्नानुसार है –

कला संकाय – अंग्रेजी– 10, हिन्दी– 08, संस्कृत– 02,

सामाजिकविज्ञान संकाय– इतिहास– 03, प्राचीन भारतीय इतिहास– 01, मनोविज्ञान – 10, समाजशास्त्र–03, राजनीति विज्ञान–06, अर्थशास्त्र–10, क्षेत्रीय अध्ययन –03,

शिक्षा संकाय – शिक्षा – 14

शारीरिक शिक्षा संकाय – शारीरिक शिक्षा – 03

वाणिज्य संकाय – वाणिज्य – 04

प्रबंध संकाय – प्रबंध – 01

गृहविज्ञान संकाय – गृहविज्ञान – 07

विज्ञान संकाय – रसायन शास्त्र – 08, भौतिकी – 10, गणित – 03, कम्प्यूटर साइंस– 02,

जीवविज्ञान संकाय – बायोसाइंस –03, बॉटनी – 01, जूलॉजी – 03, बॉयोटेक्नालॉजी – 02, मानव विज्ञान–04, बायोकेमेस्ट्री – 01,

विधि संकाय – विधि – 02

टेक्नालॉजी संकाय – फार्मेसी–02

अतः कुल 126 शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।